52 वर्ष पुराना दैनिक समाचार पत्र | पंजीयक-पंजीयन संख्या-25059/73(79) | डाक पंजीकरण संख्या UP/BR-195/2022-24 | Web : muzaffarnagarbulletin.co.in | यह मुज़फ़्फ़रनगर है...

न्यूनतम 11.5 °c | अधिकतम 24.6 °c

मुज़फ़्फ़रनगर बुलेटिन

सम्पर्क सूत्र : 9368549219, 8077929606 | संस्थापक : स्व. उत्तम चन्द्र शर्मा | रोजाना आपकी सुबह की चाय पर

सूर्योदय : 6:47 सूर्यास्त : 5:21 | वर्ष : 52/ अंक : 321 बुधवार, 20 नवम्बर 2024 मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, पंचमी सम्वत् 2081 | मूल्य 3 रुपये | कुल पृष्ठ-4

अमृतवाणी

अगर हम जिन्दगी में कमजोर बनके रहेंगे तो कठिनाइयाँ सबसे पहले हमारे ऊपर ही आक्रमण करेंगी

उपचुनाव में मतदान से पहले ही अखिलेश को हार का डर सता रहा है : एसएन सिंह

संसद की सीटों को जीता ताकत आई थी.... हरियाणा को देख के प्यारे डर तो लगता है.....

मुस्लिम मतदाता किसका करेगा उद्धार, पाल भी समझ रही खुद को दमदार

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। मीरापुर विधानसभा सीट पर इस बार अनोखी तस्वीर सामने निकलकर आ रही है। मीरापुर सीट पर यह पहली बार हो रहा है कि तीन मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और तीनों ही दमदारी से चुनाव लड़ते देखे जा रहे हैं। यदि आज मतदान के दिन तक भी तीनों मुस्लिम प्रत्याशी यूं ही रहे दमदार, तो गठबंधन प्रत्याशी का आसानी से हो जायेगा उद्धार। कल के रोड शो ने सारी बिसातें अलग अलग बिछा दी हैं। एक ओर जहां कल से पूर्व मीरापुर के चुनावी दंगल में सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा और मिथलेश पाल आमने सामने दिख रही

थीं, वहीं औवेसी की जनसभा में जुटी भीड़ ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के गुणा-भाग फेल करके रख दिए हैं।

एक ओर जहां यह माना जा रहा था कि मुस्लिम मतदाता अंत समय में एकजुट होकर किसी एक प्रत्याशी के समर्थन में वोट करेगा, मगर अब ऐसा होना नामुमकिन दिख रहा है। कुछ क्षेत्रों में औवेसी का मतदाता हार से बिना डरे सिर्फ उसी के समर्थन में वोट करने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर सपा की साइकिल की दिवानगी भी मुस्लिम मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रही है। आज की रात मुस्लिम मतदाताओं के लिए लोटे में नमक डालने की रात है। मगर समाचार लिखे जाने तक मुस्लिम मतदाता अलग-अलग धड़ों में बंटा दिखाई पड़ रहा था। कहीं औवेसी के भाषणों की चर्चाओं का असर मुस्लिम मतदाताओं पर अपना रंग जमाता दिख रहा था तो कहीं लाल टोपी का रंग मतदाताओं पर चढ़ता देखा गया। जैसा हाल मुस्लिम मतदाताओं के बीच देखा गया, ऐसा ही हाल दलित मतदाताओं के बीच भी दिखाई दिया। एक तरफ आजाद समाज पार्टी की चर्चा दलित मतदाताओं में होती दिखाई दी तो दूसरी तरफ गठबंधन प्रत्याशी मिथलेश की ओर भी मतदाताओं का रूझान देखा गया। ऐसे में गठबंधन प्रत्याशी उत्साह में तो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गठबंधन मतदाताओं के पास कोई समाधान नहीं है, ऐसे में उनकी मजबूरी मिथलेश पाल को ही वोट देकर आने की होगी। मगर, एक खतरा गठबंधन प्रत्याशी के सिर पर भी साफ तौर पर मंडराता दिख रहा है कि गठबंधन प्रत्याशी का निराश मतदाता बूथों तक पहुंचेगा भी या नहीं। यदि गठबंधन प्रत्याशी के कार्यकर्ता मतदाताओं को घरों से निकालने में सफल रहे तो गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। वहीं अगर मुस्लिम मतदाताओं ने रातों-रात एकजुटता दिखाकर किसी एक मुस्लिम प्रत्याशी के हक में लौटे में नमक डालने की सोच ली तो फिर गठबंधन प्रत्याशी को शिकस्त भी मिल सकती है। पहली बार मीरापुर के इस चुनाव में अभी तक के हिसाब से चतुष्कोणीय मुकाबला कहा जा सकता है। मुस्लिम वोटर कहां जायेगा, दलित और गुर्जर वोटर क्या करेगा, जाट मतदाता क्या नया खेल दिखायेगा?, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव शुरू होने से अब तक तरह तरह की कयासबाजियां लगाई गई, कभी जाट पाल को वोट नहीं करेगा, ऐसी सूचनाएं खुद गठबंधन में फैली, कभी गुर्जर मतदाता के सुस्ती से काम करने की खबरें सामने आई तो कभी दलित वोटों में बिखराव की बातें लगातार चलती रही। ऐसे में गठबंधन को भाजपा के परम्परागत मतों का दमदार आसरा दिखाई पड़ रहा है, उसी दम पर भाजपा गठबंधन के नेता अति उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं। मगर मतदान का प्रतिशत तय करेगा कि गठबंधन का मतदाता कितने उत्साह में है। यह तो तय है कि इस सीट पर भी मुस्लिम मतदाता चाहे किसी के भी पक्ष में मतदान करने के लिए सड़कों पर उतरे, मगर घरों से बड़ी संख्या में ही निकलेगा। बुधवार को मतदान के प्रतिशत से यह तस्वीर काफी हद तक साफ हो जायेगी कि इस सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबले में कौन रहेगा दमदार और जनता किसका करेगी उद्धार।

चंदन के चुनाव में एक लाख से अधिक वोटों की थी दमक, वैसी न होगी चमक

- साल 2022 के चुनाव में एक लाख 07 हजार 421 धुआंधार मत चंदन ने किए थे प्राप्त
- दूसरे नम्बर पर 80 हजार 41 मत पाकर हार गये थे भाजपा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। चुनाव एक ऐसा खेल है, यह जितनी बार लड़ा जाता है, उतनी ही बार नई बिसात बिछती है और उसी हिसाब से नए-नए आंकड़े सामने आते हैं। दो साल पहले 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में रालोद ने मीरापुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के समाने डटकर चुनाव लड़ते हुए शानदार जीत हासिल की थी, तो वो ही रालोद आज भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है, मगर बड़ी बात यह है कि जहां वर्ष 2022 में रालोद प्रत्याशी रहे चंदन चौहान ने अकेली पार्टी के दम पर एक लाख 07 हजार 421 मत हासिल कर शानदार जीत हासिल की थी, वहीं आज उसी रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ रही मिथलेश पाल सहित किसी भी प्रत्याशी को एक लाख वोटों का आंकड़ा छूने की उम्मीद भी नहीं है। एक लाख से नीचे नीचे संभवतः जीत का प्रत्याशी इस सीट पर जीत हासिल कर लेगा।

2022 में कुल तीन लाख 14 हजार 583 मतदाता थे, जिनमें से अकेले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या एक लाख 15 हजार मानी गई थी। जबकि इसी विधानसभा पर सभी जातियां मिलाकर दो लाख हिंदू मतदाता आंके गये थे। माना जा रहा है कि अब कुल मतदाताओं में दस से 15 हजार मतदाताओं का इजाफा हुआ होगा। क्योंकि कुछ मतदाता वोट देने की उम्र में आ चुके होंगे। 2022 के चुनाव में चंदन चौहान ने मुस्लिम मतदाताओं की रालोद के ही सिम्बल पर एकतरफा वोट हासिल की थी। क्योंकि 2022 के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने योजनाबद्ध तरीके से भाजपा के प्रशांत चौधरी को हराने का संकल्प लेते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मौहम्मद सलीम को दरकिनारे कर दिया था और दलित वोटों को मिलाकर मौहम्मद सलीम ने सिर्फ 23797 मत हासिल किये थे। वहीं इसी चुनाव में खड़े हुए कांग्रेस प्रत्याशी जमील अहमद को भी मुस्लिम मतदाताओं ने एकतरफा टाका दिया था और जमील अहमद के पक्ष में कुल 1258 वोट पड़े थे। 2022 में इस सीट पर जिस तरह से चंदन चौहान ने अपनी चमक दिखाई थी और भारी भरकम मुस्लिम मतदाताओं की वोट के साथ गुर्जर मतदाताओं ने भी चंदन को महकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, वहीं आज 2024 के चुनाव में कोई भी प्रत्याशी इतने वोट हासिल करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। मुस्लिम मतदाता यदि इस सीट पर एक लाख 20 या 25 हजार के बीच में भी हुआ और बुधवार को मतदान के दिन 70 फीसदी औसत मतदान भी मुस्लिम मतदाताओं का हुआ तो लगभग 84 हजार मुस्लिम मतदाताओं की वोट पड़ती दिखाई देगी। अब यह तो तय है कि कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी पूरे पूरे के वोट नहीं ले पायेगा। एकतरफा वोट पड़ने के बाद सबसे दमदार मुस्लिम प्रत्याशी के पक्ष में 55-60 हजार वोट पड़ता दिखाई देगा। बाकी के छोड़कर कमजोर मुस्लिम प्रत्याशी 20-25 हजार वोटों में दोनों ही सिमट जायेंगे। ठीक इसी तरह इस सीट पर जहां दो लाख हिंदू मतदाता बताये गये हैं, उनमें 58 हजार दलित मतदाता भी शामिल हैं, उक्त दलित मतदाताओं का कोई आकलन नहीं किया जा सकता कि यह कितने प्रतिशत में किस ओर बंटेगा, क्योंकि आज कल दलित युवाओं के मसीहा माने जाने वाले चन्द्रशेखर का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है, ऐसे में उक्त मतदाता बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी की ओर भी जाता है तो हिंदू मतदाताओं में से तकरीबन 25-30 हजार वोट गठबंधन प्रत्याशी का कटता दिखाई देगा। बाकी गठबंधन प्रत्याशी के पास एक लाख 70 हजार के आसपास वोट रह जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, चूंकि गठबंधन प्रत्याशी का मतदाता पहले से ही कम वोट करता चला आया है, ऐसे में गठबंधन प्रत्याशी ने 55-60 प्रतिशत वोट भी मतदान स्थल तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की तो 93 हजार वोट के लगभग गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में माना जा सकता है। ऐसे में हार जीत किसी की भी हो, वह यह बात तो अलग है और मतदान के दिन क्या-क्या समीकरणों में उलटफेर हो, यह भी विषय अलग है, मगर यह तय माना जा रहा है कि जीत हो या हार मगर किसी भी प्रत्याशी के पास चंदन चौहान की तहर एक लाख से अधिक वोट नहीं होंगे।

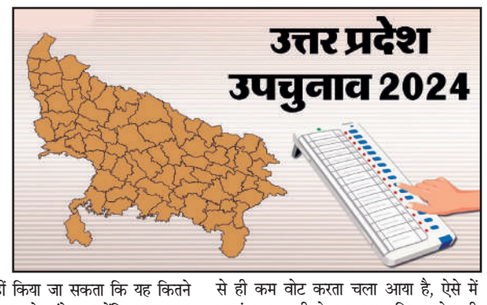

पुलिस नहीं करेगी बुर्के की जांच

- चुनाव आयोग ने कहा-मतदाता की पहचान पुलिस का काम नहीं
- सपा ने कहा था: बुर्का उठाकर डराती है, पुलिस न जांचें आईकार्ड

लखनऊ, 19 नवंबर (एजेंसी)। मतदान के दिन मतदाताओं के पहचान का काम पुलिस कर्मी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने उपचुनाव से संबंधित सभी पुलिस आयुक्तों व अधीक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीएम) को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा न किए जाने के संबंध में अनुरोध किया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम ही करती है। मतदाताओं की पहचान पुलिस बल नहीं करता है। पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य मतदान के दिन शांति-व्यवस्था स्थापित किया जाना है। आयोग ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बूथ पर किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। इसी तरह से हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर-2023 में महिला व पर्दानशीं मतदाताओं की पहचान के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, उनका भी पालन सुनिश्चित किया जाए। समाजवादी पार्टी ने छह पन्नों की एक चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से कहा था कि उत्तर प्रदेश में मतदान के दिन यानि 20 नवंबर को पुलिस को मतदाताओं यानि वोटरों के आई कार्ड जांचने की अनुमति न दी जाए। समाजवादी पार्टी ने इस चिट्ठी में आरोप लगाया है कि आई कार्ड जांचने के बहाने पुलिस बुर्का उठाकर डराती है और सपा समर्थक मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रही है। सपा ने लिखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इसी तर्ज पर पुलिस ने मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान के नाम पर नकाब हटवाए थे। करहल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत भी समाजवादी पार्टी ने की है।

स्वामी रामभद्राचार्य को सांस लेने में तकलीफ, अस्पताल में भर्ती

देहरादून, 19 नवंबर (एजेंसी)। जगदुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य को अचानक दून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार की शाम को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। इसके बाद उन्हें दून लाया गया, चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं। मंगलवार की शाम को जगदुरु को सांस लेने में समस्या हुई। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद से एयरलिफ्ट कर शाम करीब सात बजे दून लाया गया। यहां सिनर्जी अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया। जहां चिकित्सकों की टीम की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। इससे पहले फरवरी में भी तबीयत खराब होने के चलते दून में भर्ती कराया गया था। यहां काफी दिनों तक उनका उपचार चला था। सिनर्जी अस्पताल के एमडी कमल गर्ग ने बताया कि रामभद्राचार्य को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। इसके बाद उन्हें देर शाम को अस्पताल में भर्ती किया गया।

जिले में 12वीं तक की कक्षाओं में अवकाश

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अग्रिम आदेशों तक स्कूल रहेंगे बंद
- प्रदूषण के चलते ग्रैप-4 के तहत डीएम ने जारी किए आदेश

मुजफ्फरनगर, 19 नवंबर (बु.)। हवा में जहर घुलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिले के कक्षा एक से बारहवीं कक्षा तक के तमाम स्कूल कॉलेजों में बारहवीं तक की कक्षाओं में अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह अवकाश आगामी आदेश तक जारी रहेगा। इस दौरान स्कूलों को स्वेच्छा से ऑन लाइन क्लास चलाने की छूट दी गई है।

जिले में आज से ग्रैप-4 के तहत बारहवीं तक के तमाम स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। हालांकि आज यह आदेश लागू नहीं हो पाया। कल वैसे ही जिले में मीरांपुर उपचुनाव के चलते सार्वजनिक अवकाश है। हालांकि स्कूलों में अवकाश के जो आदेश जारी किए गए हैं उनमें अनिश्चितकालीन अवकाश बताया गया है। दिल्ली में एक्यूआई और प्रदूषण के 500 पार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर गहरी चिंता जताई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कल जारी आदेश में दिल्ली और समूचे एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप-4 के प्रावधान लागू करने के आदेश जारी करते हुए आगामी आदेशों तक ग्रैप-4 ना हटाने और स्कूलों में बारहवीं तक की कक्षाओं में फिजीकल उपस्थिति ना रखने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद जिलाधिकारी स्तर से आज इस संबंध में आदेश जारी किए गए। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित जनपद मुजफ्फरनगर व आस-पास के प्रदूषण के बढ़ते स्तर एवं सीएक्यूएम द्वारा ग्रैप-4 लागू किये जाने के फलस्वरूप तथा उक्त विषय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के प्रकाश में जनपद मुजफ्फरनगर के छात्र-छात्राओं व सम्बन्धित की वायु प्रदूषण से सुरक्षा के दृष्टिगत कक्षा-1 से कक्षा-12 तक संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं को अग्रिम आदेशों तक "शिक्षण कार्य" हेतु तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। विद्यालय यदि चाहें तो इस अवधि में कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन मोड में कर सकेंगे। निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षण संस्थाओं के समस्त प्रधानाचार्य, शिक्षक व अन्य शिक्षणेतर कार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थानीय आवश्यकताओं व ऑनलाइन कक्षा संचालन के हित में अपने दायित्वों का यथोचित निर्वहन करते रहेंगे। समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्यगण उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। अब स्कूल कब खुलेंगे इसे लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की स्थिति को देखते हुए गत दिवस जारी अपने आदेश में साफ कहा था कि उनके आदेश के बिना ग्रैप-4 के प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे, भले ही प्रदूषण की स्थिति में सुधार ही क्यों ना हो। ऐसे में साफ है कि अब स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेशों का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही स्कूलों में शिक्षण कार्य फिर शुरू हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा के बाद ग्रैप-4 को लेकर आगामी आदेश जारी करेगा।

मुजफ्फरनगर में एक्यूआई रहा 284

मुजफ्फरनगर, 19 नवंबर (बु.)। आज शहर में एक्यूआई 284 पर दर्ज किया गया जो खराब स्थिति में था। यह अलग बात है कि कुछ दिन पहले कई बार प्रदूषण के मामले में मुजफ्फरनगर देश भर में नंबर एक पर रह चुका है। गत दिवस एक्यूआई 286 पर था। इसमें आज कोई बहुत अधिक सुधार नहीं हो पाया। प्रदूषण की स्थिति लगातार बनी हुई है। आज सुबह कोहरे के साथ आसमान पर स्मॉग भी छाया रहा। ऐसे में एक्यूआई 284 पर रहा। शहर की हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 की स्थिति भयावह रही। आज अन्य स्थानों की बात करें तो दिल्ली में एक्यूआई 460 रहा। मेरठ में 350 और नोएडा में 370 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके चलते अभी भी हवा दम घोंटू बनी हुई है और सांसों पर संकट बरकरार है।

गफलत : स्कूल खुलने के बाद आए आदेश

तमाम स्कूलों के वार्षिकोत्सव के आयोजनों व ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर भी असमंजस

मुजफ्फरनगर, 19 नवंबर (बु.)। बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूलों में अवकाश के आदेश आज जिस समय सामने आए, तब तक स्कूल खुल चुके थे। ऐसे में आज इन आदेशों को लागू नहीं किया जा सका। इसके चलते तमाम स्कूल खुले। स्कूलों मे अवकाश की घोषणा के बाद तमाम स्कूलों में आगामी दिनों में प्रस्तावित वार्षिकोत्सव के आयोजन भी अटक गए हैं। बंदी की अनिश्चितता के चलते स्कूलों में ऑन लाइन क्लास चलाने की व्यवस्था को लेकर भी प्रबंधन अनिश्चय की स्थिति में हैं।

जिलाधिकारी की ओर से बारहवीं तक की कक्षाओं में अवकाश को लेकर आदेश 18 नवंबर की तिथि में जारी कर दिए गए थे। हालांकि शिक्षा विभाग की गफलत कहें या कुछ और आज उक्त आदेश दस बजे के बाद सार्वजनिक किए गए। ऐसे में तमाम स्कूल कॉलेज आज खुल चुके थे और उक्त आदेशों का परिपालन सुनिश्चत नहीं हो पाया। स्कूल आज अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खुले रहे। स्कूलों में अवकाश की घोषणा और इनके खुलने को लेकर अनिश्चितता की स्थिति के चलते उन स्कूलों की मुसीबत बढ़ गई है जहां वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। स्कूलों में अवकाश घोषित होने के बाद स्कूलों के वार्षिकोत्सवों के आयोजन खटाई में पड़ गए हैं। 20 नवंबर को जीसी पब्लिक स्कूल, 25 और 26 को एमजी पब्लिक स्कूल, द एसडी पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव 29 नवंबर को होना है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन और छात्र-छात्राएं महीनों से तैयारी में जुटे हुए थे। आयोजनों के लिए लाइट, साउंड, डेकोरेशन तथा भोजन आदि की तमाम व्यवस्थाओं के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन आयोजनों को लेकर स्कूल प्रबंधन में असमंजस की स्थिति है। खास तौर से जीसी पब्लिक जहां कल (आज) ही यह आयोजन होना था। अब इसे लेकर आयोजक असमंजस में हैं। बाकी स्कूलों के आयोजन में अभी समय है। ऐसे में उन्हें अभी भी उम्मीद है कि इन आयोजनों की तिथि से पहले सुप्रीम कोर्ट कोई नए आदेश दे सकता है। फिलहाल अवकाश को लेकर अनिश्चितता के चलते तमाम स्कूल ऑन लाइन शिक्षण कार्य को लेकर भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।

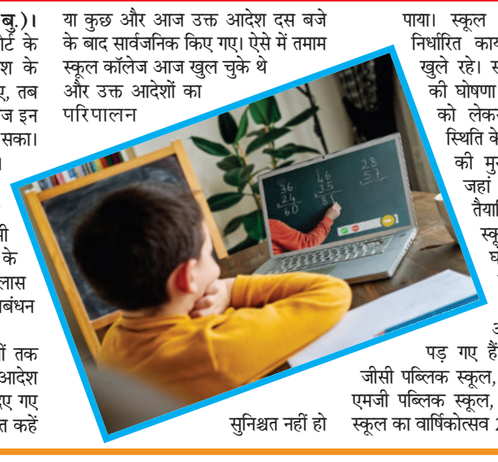

शाईन डेन्टल एवं मैडिकल क्लीनिक
महावीर चौक के पास, डा0 मुकेश जैन वाली गली, मुजफ्फरनगर मो0: 8791362345, 9045452123
दाँतों का अत्याधुनिक हॉस्पिटल
डा. जतिन गुप्ता B.D.S., M.D.S. रूट कैनाल एवं इम्पलान्ट विशेषज्ञ
डा. शिफाली गुप्ता B.D.S., M.D.S. रूट कैनाल एवं कास्मेटिक विशेषज्ञ
अनेक समस्यायें
• ढ़ीला एवं चुभने वाला जबाड़ा
• निकले हुए दाँत की खाली जगह
• खाना चबाने में परेशानी
एक मात्र हल
डेन्टल इम्पलान्ट द्वारा फिक्स दाँत
बिना चीरा, बिना दर्द, बिना टांके के आधुनिक इलाज
पूरे मुँह का एक्स-रे (OPG) की सुविधा उपलब्ध
रविवार अवकाश समय- सुबह 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक सायं 5.00 बजे से सायं 7.30 बजे तक

नींद से जागा प्रदूषण विभाग, छह उद्योगों पर लगा दी सील

- हॉट मिक्स प्लांट चलता पाये जाने पर टीम ने की कार्यवाही
- फैक्ट्रियों-कोल्हुओं का किया निरीक्षण, दिनभर मचा हड़कंप

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता घटने तथा प्रदूषण बढ़ने पर सीएक्यूएम द्वारा क्षेत्र में लागू ग्रेप स्टेज-4 से जनपद में तमाम व्यवस्थाएं प्रभावित होने लगी हैं। डीएम के कड़े रूख पर मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों ने सक्रियता दिखाते हुए आधा दर्जन उद्योगों को सील करने के साथ छापामार कार्यवाही करते हुए नियमों के खिलाफ चल रहे उद्योगों का संचालन बंद करा दिया।

डीएम उमेश मिश्रा के आदेशों के बीच मंगलवार को जनपद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने 2 टीमें गठित करते हुए कई उद्योगों का औचक निरीक्षण कराया। पहली टीम में शामिल अवर अभियंता संध्या शर्मा ने एलए सर्वेश कुमार व मौहम्मद आलम के साथ कई क्षेत्रों में संचालित उद्योगों पर कड़ी कार्यवाही की। जेई संध्या शर्मा ने बताया कि टीम ने जौली रोड पर सिखरेडा गांव के पास त्यागी कंस्ट्रक्शन हॉट मिक्स प्लांट का संचालन होता पाए जाने एवं वायु प्रदूषण के कारण कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगाने के साथ कार्यवाही करते हुए प्लांट को बंद कराया। वहीं प्लांट की मशीनों को सील कर दिया। वहीं मलीरा गांव के निकट मै. शिव शक्ति हॉट मिक्स प्लांट और मै. एकेवी कन्स्ट्रक्शन पर छापा मारा। यहां हॉट मिक्स प्लांट बंद मिला, लेकिन भविष्य में इसके संचालन की संभावना को क्षीण करने के लिए दोनों प्लांट में सीलिंग कार्यवाही की गई। इसके अलावा कुछ उद्योगों, टायर फैक्ट्री एवं कोल्हु आदि का निरीक्षण किया। इस बीच कोल्हु संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देशित किया गया और पन्नी कचरा नहीं जलाने तथा खुले में कूड़ा या लकड़ी न जलाने के लिए कहा। वहीं दूसरी टीम ने जेई राधा गुप्ता के नेतृत्व में रवि प्रकाश सिंह जेआरएफ और अन्य कर्मचारियों ने क्षेत्र में अभियान चलाया। जेई राधा गुप्ता ने बताया कि चांदपुर मखियाली के पास राम इंडस्ट्रीज के साथ मुस्तफाबाद पचैंडा रोड स्थित मै. ओम शिव कन्स्ट्रशन और ग्राम सिमली स्थित मै. रघुवंशी कन्स्ट्रशन संचालित पाये जाने पर टीम ने तत्काल इन प्लांटों को बंद कराते हुए सील किया गया। मंगलवार को डीएम के निर्देशों पर शुरू की गई कार्रवाई से क्षेत्र में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा।

इन्होंने कहा- क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि डीएम उमेश मिश्रा के निर्देश पर जिले में एनसीआर में ग्रेप स्टेज-4 के नियमों का पालन कराने को विभागीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को इसी कड़ी में दो टीमों को लगाकर औचक निरीक्षण के दौरान छह उद्योग

शेष - पृष्ठ-4 पर

कार्यालय नगर पंचायत थानाभवन जनपद–शामली

पत्रांक सं0:– 567/न0पं0था0/को0उपविधि/2024 दिनांकः–19–11–2024

नगर पंचायत थानाभवन कोलोनाइजर (नई कॉलोनी के विकास हेतु) उपविधि–2024

नगर पंचायत थानाभवन अपनी सीमा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–2016 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड बैठक दिनांक 04–07–2024 के बहुमत से पारित प्रस्ताव संख्या 06 के अनुपालन में कोलोनाइजर हेतु उपविधि 2024 प्रस्तावित करती है। इस उपविधि को दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा एवं मुजफ्फरनगर बुलेटिन में दिनांक 20–11–2024 से 30 दिन की अवधि हेतु आम जनमानस के अवलोकनार्थ एवं दावे/आपत्ति प्राप्त करने की दृष्टि से प्रकाशित किया जा रहा है। निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात किसी भी प्रकार के दावे/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रसार–**
   1. यह उपविधि नगर पंचायत थानाभवन कोलोनाइजर एवं नई कॉलोनी का विकास उपविधि–2024 कहलायगी।
   2. इस उपविधि का प्रसार नगर पंचायत थानाभवन की सीमा के अर्न्तगत विकसित होने वाली सभी कॉलोनियों पर होगा। यह उपविधि उन कॉलोनियों पर भी लागू होगी, जो कि पूर्व में किसी कोलोनाइजर द्वारा विकसित की जा चुकी है अथवा विकसित होने की प्रक्रिया में है।
   3. यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।
2. **परिभाषाएं:–**
   1. अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम 1965 (यथा संशोधित अधिनियम 2008) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 से है।
   2. परिवर्तन अथवा परिवर्धन से तात्पर्य भवन की संरचना में होने वाले किसी भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन से है, जिसके अंतर्गत दीवार, छज्जा, दरवाजा, खिड़की, छत इत्यादि सभी सम्मिलित है।
   3. बेसमेंट से तात्पर्य भूतल से नीचे या अंशत भूतल के नीचे के निर्माण से है।
   4. अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत थानाभवन के अधिशासी अधिकारी से है।
   5. अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पंचायत थानाभवन के अध्यक्ष या प्रशासक से है।
   6. बोर्ड से तात्पर्य नगर पचांयत थानाभवन के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था से है।
   7. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय–समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होगें।
   8. **''नक्शा नफीस/मानचित्रकार/ड्रॉफ्टमैन''** का अभिप्रायः नगर पंचायत थानाभवन के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस से है।
   9. कोलोनाइजर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके द्वारा किसी कॉलोनी का निर्माण एवं विकास किया गया है।
   10. शमन शुल्क से तात्पर्य उस शुल्क से है, जो कि किसी व्यक्ति पर इस उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप दण्ड हेतु लगाया गया है।
3. **नई कॉलोनी के निर्माण एवं विकास हेतु नियम व शर्तेः–**

कोई भी व्यक्ति/कोलोनाइजर जो कि नगर पंचायत थानाभवन की सीमा के अर्न्तगत नयी कॉलोनी का निर्माण एवं विकास करना चाहता है उसे निम्न लिखित नियम व शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

   1. कोलोनाइजर को नई कॉलोनी का निर्माण करने से पूर्व एक लिखित प्रार्थना पत्र/आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क व दस्तावेजों/अभिलेखों के साथ नगर पंचायत कार्यालय में स्वीकृति हेतु जमा करना होगा।
   2. यदि किसी भी नई कॉलोनी में निर्माण कार्य/विकास इस उपविधि के लागू होने के पश्चात बिना नगर पंचायत की अनुमति/स्वीकृति के शुरू किया गया हो, तो कोलोनाइजर को एक अवसर विनियमित कराने हेतु नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें नगर पंचायत बोर्ड/अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित शमन शुल्क लेकर स्वीकृति हेतु 15 दिन का अधिकतम समय दिया जाएगा।
   3. यदि निर्धारित अवधि के अर्न्तगत स्वीकृति हेतु नगर पंचायत मे कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो नगर पंचायत को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह 3 दिन के अन्तिम अवसर का नोटिस देते हुये नई कॉलोनी में हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दें तथा ध्वस्तीकरण में आने वाले खर्च को सम्बन्धित कोलोनाइजर से नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय 6 में दी गयी रिति से वसूल कर लें।
   4. नई कॉलोनी के विकास हेतु जो भी आवेदन नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, उनमें अधिकतम 30 दिनों के अन्दर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। यदि बिना किसी यथोचित कारण के 30 दिन के अन्दर स्वीकृति/अस्वीकृति पर निर्णय नहीं लिया जाता है अथवा विलम्ब किया जाता है, तो उसे स्वतः ही स्वीकृत माना जाएगा।
   5. स्वतः स्वीकृति के सभी मामलों में यह प्रतिबन्ध होगा कि कोलोनाइजर द्वारा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क/शमन शुल्क व नियम शर्तों का अनुपालन किया हुआ है।
   6. नई कॉलोनी मे सभी आवश्यक सुविधायें यथा–बिजली, पानी, सड़क, सफाई, जलनिकासी इत्यादि की व्यवस्था कोलोनाइजर को अनिवार्य रूप से करनी होगी।
   7. कोलोनाइजर को कॉलोनी का निर्माण एवं विकास से सम्बन्धित सभी सुविधायें स्वीकृति मिलने के 2 वर्ष के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात उसे निर्धारित शुल्क जमा कर पुनः स्वीकृति लेनी होगी। पुनः स्वीकृति 1 – 1 वर्ष हेतु अधिकतम 3 बार ही दी जा सकती हैं, जिस पर अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी का होगा, जो की बाध्यकारी होगा।
   8. आवेदन के साथ एक निर्धारित धनराशि सिक्योरिटी के रूप में नगर पंचायत के पास बन्धक के रूप में होगी, जो की इस उपविधि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर जब्त कर ली जाएगी।
   9. सिक्योरिटी धनराशि को अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जाँच उपरान्त पूर्णतः प्रमाण पत्र निर्गत करने के उपरान्त की जारी की जाएगी।
   10. नई कॉलोनी विकसित करने से पूर्व सभी कृषिगत भूमि को अकृषिगत उपयोग में लाने हेतु राजस्व संहिता की धारा–80 अथवा जो भी नियमानुसार प्रक्रिया है, कराना अनिवार्य होगा।
   11. कॉलोनी की सड़कें कम से कम 3 मीटर चौड़ी होगी तथा मुख्य सड़क से पहुँच मार्ग कम से कम 6 मीटर चौड़ी होगी।
   12. कॉलोनी मे पार्क आदि का निर्माण करना होगा।
   13. कॉलोनी में वृक्षों की व्यवस्था कॉलोनी स्वीकृत कराने वालों की होगी।
   14. सड़कों को यथासम्भव समकोण पर मिलाया जाएगा।
   15. कॉलोनी में सभी सुविधायें विकसित करने तथा कोलोनाइजर द्वारा पूर्णतः प्रमाण पत्र करने के पश्चात ही कॉलोनी नगर पंचायत के प्रबन्धन में जाएगी।
   16. नगर पंचायत के प्रंबधन में आने के पश्चात कॉलोनी में गृहकर/जलकर/अन्य कर प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत का होगा तथा कॉलोनी मे विभिन्न सुविधाओं एवं उनका रख–रखाव का दायित्व नगर पंचायत का होगा।
   17. व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
4. **पूर्व विकसित कॉलोनी को विनियमित करने हेतु दिशा–निर्देश व शर्तें–**

नगर पंचायत द्वारा ऐसी सभी कॉलोनियां, जो की इसी उपविधि के लागू होने से पूर्व विकसित हो गयी है या निर्माणाधीन है, उनको नगर पंचायत द्वारा नोटिस के माध्यम विनियमित करने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। नोटिस की अवधि 15 दिन की होगी। यदि ऐसी कॉलोनियों को इस उपविधि के लागू होने से पूर्व नोटिस निर्गत किया गया, तो वह विधि मान्य होगा। ऐसी सभी कॉलोनियाँ जो की इस उपविधि के लागू होने से पूर्व विकसित हुई हो एवं इनको 5 वर्ष या इससे अधिक समय बीत गया हो तथा इसके अर्न्तगत आने वाले मकानों पर नगर पंचायत द्वारा कर अधिरोपित कर रखा हो, तो ऐसी कॉलोनियों में सड़क, पानी, बिजली एवं साफ–सफाई की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नगर पंचायत बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, जो कि विधिमान्य होगा।

5. **पूर्व कॉलोनियों को विनियमित करने की प्रक्रियाः–**
   1. नगर पंचायत द्वारा ऐसी सभी कॉलोनियों को चिन्हित करते हुए सम्बन्धित कोलोनाइजर/व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किया जाएगा, जिसमें उनसे अपेक्षा की जायेगी कि वह नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुए विधिवत् रूप से दस्तावेजों सहित आवेदन नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करें।
   2. नगर पंचायत द्वारा दी गयी नोटिस की अवधि 15 दिन की होगी, जिसमें शर्तों का उल्लेख किया हुआ होगा।
   3. यदि इस सम्बन्ध में पूर्व में नोटिस निर्गत किया गया हो, तो वह भी विधिमान्य होगा।
   4. नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहने पर सम्बन्धित कोलोनाइजर/व्यक्तियों को नई कॉलोनियों को विनियमित करने हेतु अन्तिम अवसर देते हुए पुनः 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा, यदि इसके पश्चात भी कोलोनाइजर द्वारा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुए उसको विनियमित नहीं कराया जाता है, तो उक्त कॉलोनी को अवैध मानते हुए नगर पंचायत द्वारा ध्वस्त कराया जा सकता है तथा ध्वस्तीकरण का समस्त खर्च सम्बन्धित कोलोनाइजर/व्यक्ति से वसूला जाएगा।
   5. इस उपविधि की किसी भी शर्त अथवा समस्त शर्तो को शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।
   6. उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 अर्न्तगत उस क्षेत्र को अकृषिगत कराना अनिवार्य होगा।
   7. नगर पंचायत द्वारा ऐसे सभी आवेदन जो की नगर पंचायत कार्यालय में स्वीकृति/अनुमति हेतु प्राप्त हुए है, उन पर 30 दिन के अन्दर निर्णय लेना होगा अन्यथा कोलोनाइजर द्वारा कार्य शुरू किया जा सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि 30 दिन की यह अवधि तब लागू नहीं जब कोलोनाइजर से किसी कार्य को करने या दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी हो।
6. **विशेष उपबंधः–**

नगर पंचायत बोर्ड जनहित मे इस उपविधि के पूर्व विकसित/निर्मित कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी, साफ–सफाई जैसे बुनियादी देने हेतु निर्णय ले सकता है, यदि इस उपविधि के लागू होने से पूर्व नगर पंचायत द्वारा जनहित में ऐसी किसी भी कॉलोनी में निर्माण कार्य या अन्य कोई बुनियादी सुविधा दी गयी हो तो वह अवैध नही होगी, भले ही ऐसी कॉलोनियों को विकसित करने वाले कोलोनाइजर को नोटिस दिया गया हो।

7. **आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजः–**
   - स्वामित्व संबंधी दस्तावेज,
   - शपथ–पत्र,
   - मानचित्र की प्रति,
   - शुल्क की प्रतिलिपि,
   - कॉलोनी हेतु भूमि किस–किस व्यक्ति से क्रय की गयी है, उनके नाम व पता।
   - अन्य कोई दस्तावेज जिसकी नगर पंचायत द्वारा मांग की जाए।
8. **कालोनाइजर हेतु की प्लानः–**कालोनी के विकास या पुनर्विकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र के साथ की–प्लान जिसमें उत्तर दिशा–सूचक और पैमाना (जो 1:10,000 से कम न हो) तथा उप–विभाजन हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति को दर्शाया गया हो।
9. **कालोनाइजर हेतु साइट प्लानः**
   - आवेदक के स्वामित्व की भूमि के सजरा संख्या या अन्य स्थानीय प्राविधानों सहित सीमावर्ती भूमि के विवरण दिए जाएंगे।
   - सीमावर्ती भूमि आवेदक के स्वामित्व में होने पर तथा पूर्व में उप–विभाजन स्वीकृत होने पर उसमें उपलब्ध सुविधाओं और प्रस्तावित स्थल हेतु विद्यमान पहुँच मार्गों का भी उल्लेख होगा।
   - प्रस्तावित उप–विभाजन में स्थल से मुख्य सड़क या मार्ग तक पहुँचने के स्थान की वर्तमान दूरी, सड़क का नाम एवं चौड़ाई के उल्लेख सहित दर्शाए जाएंगे।
   - समस्त विद्यमान संरचनाओं और फीचर्स की स्थिति जैसे हाईटेंशन लाइन, आदि जाक स्थल की सीमा से 30 मीटर के भीतर हो, दर्शाई जाएंगी।
10. **उप–विभाजन तलपट मानचित्रः–**

उप–विभाजन तलपट मानचित्र 10 हैक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:500, 10 हैक्टेयर से 50 हैक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:1000 तथा 50 हैक्टेयर से अधिक के भूखण्डों हेतु 1:2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमे निम्नलिखित विवरण दर्शाये जाएंगे।
   - पैमाना तथा उत्तर दिशा–सूचक।
   - स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों की चौड़ाई।
   - सर्विसेज प्लान जिसमें नालियाँ, वाटर–सप्लाई नेटवर्क, सीवर, इलेक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं आदि एवं इनकी वाह्य विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गयी हो।
   - तालिका जिसमें उप–विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भूखण्डों के आकार, क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।
   - तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सड़कें, खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भूखण्ड यथा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग (जो उप–विभाजन के प्रस्तावित हों), के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का विवरण।
   - निर्मित क्षेत्र में स्थित भूखण्डों हेतु प्रस्तावित उप–विभाजन की दशा में उपर्युक्त वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सड़क से पहुँच मार्ग की सुविधा भी दर्शाई जाएगी।
   - लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)
   - ग्राउन्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित करायें जायेंगेः–
     1. 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अंतर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू–जल की रिचार्जिग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिह्नित करते हुए जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेन्शन) व स्टेगनेशन का अध्ययन कर उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए।
     2. पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।
     3. सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान मे ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा, जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे–भरे रह सकें।
11. **विशिष्टियॉ :–**

कालोनाइजर द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विशिष्टियॉ व विवरण प्रस्तुत किये जाएंगे :–
   - प्रस्तावित समस्त विकास कार्यो यथा सड़कों और गलियों की सामान्य विशिष्टियाँ, उनके ढाल और पेविंग, नालियॉ (साइड ड्रेन), पेयजल आपूर्ति का प्रावधान, मल व कूड़ा निस्तारण का प्रबन्ध, मार्ग–प्रकाश, खेल के मैदान, पार्क और सामुदायिक उपयोग विकास के विवरण।
   - स्थल के समीप उपलब्ध वाह्य अवस्थापना सुविधाएँ यथा सीवेज निस्तारण स्थल, जल–निकासी व्यवस्था (नाला आदि), मुख्य सड़क, विद्युत–आपुर्ति व्यवस्था, जल हेतु स्त्रोत, इत्यादि।
12. **विकास अनुज्ञा–पत्र की वैधता :–**
   - एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम 2 वर्षो के लिए वैध होगी।
   - उक्त अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण पत्र नगर पंचायत से प्रक्रियानुसार प्राप्त किया जाएगा।
   - प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि में नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर एक–एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम 3 बार वृद्धि की जा सकती है।
13. **विकास के समय विचलनः–** विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व नगर पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।
14. **पूर्णता प्रमाण–पत्रः–** विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूट्रीकृत ड्राइंग सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर नगर पंचायत द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
15. **लैण्डस्केप प्लानः–** अधिशासी अधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृती के पूर्व लैण्डस्केप प्लान/वृक्षारोपण के निम्न प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा पूर्णता पत्र जारी करने से पूर्व स्थल पर वृक्षारोपण की पुष्टि भी की जाएगी।
   1. 6 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के एक ओर तथा 12 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों और अधिकतम 10–10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
   2. बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र से सघन वृक्षारोपण द्वारा पृथक किया जायेगा, जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।
   3. वाणिज्यिक योजना में कुल खुले स्थल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी, जहाँ प्रति हैक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
   4. संस्थागत, सामुदायिक सुविधाएं, क्रीड़ास्थल/खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी, जहाँ न्यूनतम 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जायेगा।
16. **आवासीय भू–उपयोग–**

आवासीय भू–उपयोग के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत किया जाएगाः–
   1. 200 मीटर तक लम्बे पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 4 मीटर होगी, तथा 201–400 मीटर तक 6 मीटर, 401–600 मीटर तक 10 मीटर एवं 601–1000 मीटर तक 12 मीटर तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होगी।
17. **अनावासीय भू–उपयोग–**
   1. अनावासीय क्षेत्र यथा व्यावसायिक, कार्यालय एवं औद्योगिक भू–उपयोग में किसी भी सड़क की चौड़ाई 9 मीटर से कम नही होगी, जिसकी लम्बाई अधिकतम 200 मीटर होगी।
   2. **सड़कों के संगम–**
      1. यथा सम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेगी तथा क्रॉस जंक्शन पर समस्त सड़कों की मध्य रेखाओं का 'एलाइन्मेंट' एक सीध में होगा।
      2. सड़कों के जंक्शन इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार होंगे।
   3. **सड़क की लम्बाई की गणना–**

      सड़क की लम्बाई की गणना उस मार्ग से अधिक चौड़े मार्ग के मिलन बिन्दु से की जाएगी।
   4. **ड्रेनेज व्यवस्था–**

      ड्रेनेज व्यवस्था हेतु नालियाँ सड़क का अभिन्न अंग होंगी तथा उनमें पर्याप्त ढ़ाल होगा, ताकि जल की निकासी स्वतः हो सके।
   5. **बेसमेन्ट–**
      (1) 200 वर्गमीटर तक के गैर–व्यवसायिक भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा, जबकि 200 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भवनों में अनुमन्य भू–आच्छादन के अधिकतम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में बेसमेन्ट अनुमन्य होगा।

      (2) सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम होने की दशा में व्यावसायिक भूखण्डों में बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
   6. **सक्षम प्राधिकारी–** इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा। इस उपविधि में प्रावधानित किसी भी शर्त अथवा प्रावधान को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगा, जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
   7. **संशोधन–**इस उपविधि में संशोधन नगर पंचायत बोर्ड के एक तिहायी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव अथवा अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा।
   8. **निरसण–** इस उपनियमावली के लागू होने के पश्चात् निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी मानें जायेंगे।
   9. **शिथिलीकरणः–** इस उपविधि के किसी भी प्राविधान/शर्तों को शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी का होगा।
   10. **दण्ड–**यदि कोई भी व्यक्ति इस उपविधि में दिये गये प्रावधानों/शर्तो का उल्लंघन करते हुए कॉलोनी का निर्माण करता है, तो उसे अवैध माना जायेगा तथा नगर पंचायत द्वारा उस पर न्यूनतम 10,000/–रू0 का जुर्माना करते हुए ध्वस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे सभी अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने का निर्णय शमन शुल्क के साथ नगर पंचायत बोर्ड/अधिशासी अधिकारी का होगा, जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(जितेन्द्र राणा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत थानाभवन

दमघोंटू प्रदूषण से लोगों के प्राण ही नहीं, कारोबार पर भी चोट, व्यापार में 20 फीसदी हानि

दिल्ली, 19 नवंबर (एजेंसी)। दिल्ली में दमघोंटू वायु प्रदूषण, केवल लोगों के प्राणों पर ही संकट खड़ा नहीं कर रहा है, बल्कि कारोबार को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण का व्यापार पर भी असर दिखने लगा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा दिल्ली के व्यापार को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। दिल्ली के व्यापारियों को लगभग 20 प्रतिशत व्यापार हानि का सामना करना पड़ रहा है। यह व्यापार के लिए एक बड़ा नुकसान है। खंडेलवाल के मुताबिक, बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण उपभोक्ता भीड़भाड़ वाले बाजारों में जाने से बचते हैं। इससे बाजारों में ग्राहक संख्या में भारी गिरावट आई है। ऑड-ईवन योजना और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध जैसे कदम व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंच को सीमित कर देते हैं। इसका व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। डीजल वाहनों, खासकर ट्रकों पर लगाए गए प्रतिबंध आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं, जिससे माल की बाजारों तक पहुंचने में देरी होती है। लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ जाती है। यह स्थिति माल और सेवाओं की आपूर्ति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

कैंची धाम से दर्शन कर लौट रहे पर्यटकों की कार खाई में गिरी, मची चीख पुकार

नैनीताल, 19 नवंबर (एजेंसी)। नैनीताल में मंगलवार शाम को सड़क हादसा हो गया। कैंची धाम से किच्छा वापस लौट रहे पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर ज्योलीकोट के नंबर एक मोड़ के पास खाई में गिर गई। कार खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा।

जानकारी के अनुसार, किच्छा निवासी राजेश कार संख्या(यूके 04 एन 1626) से अपनी पत्नी, पुत्र, बहु व 14 वर्षीय बच्ची के साथ कैंची धाम से वापस लौट रहे थे। हल्द्वानी रोड में ज्योलीकोट के समीप नंबर एक मोड़ के समीप उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई। इससे पहले वो संभल पाते उनकी कार खाई में जा गिरी। कार को खाई में गिरता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची ज्योलीकोट पुलिस ने मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू अभियान चालाया। ज्योलीकोट चौकी इंचार्ज अविनाश मौर्य ने बताया कि 100 फीट गहरी खाई में 20 मिनट तक रेस्क्यू चलाकर कार में सवार पांचों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया कि कार में सवार लोगों को गुम चोट आई हैं। उपचार के लिए उनको निजी वाहन से हल्द्वानी अस्पताल भेज दिया है। इस दौरान प्रत्यक्ष दर्शी ज्योलीकोट निवासी सतीश टम्टा व स्थानीय युवक भी बचाव कार्य में जुटे रहे।

1973-2024

सम्पादक की क़लम से

राहुल और संबित की प्रेस कांफ्रेंस

राहुल गांधी ने दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में बहुत कम प्रचार किया। प्रचार के अन्तिम दिन एक प्रेस कांफ्रेस की। प्रेस कांफ्रेस को लेकर राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई जा रही है, उनका मजाक उड़ाते हुए वीडियो बन रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने उनकी प्रेस कांफ्रेस के बाद प्रेस कांफ्रेस की है। संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष किये हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में इस तरीके की तकरीरें भी की गयी हैं, जैसे कि ये चुनाव विधानसभा का न होकर किसी मुल्क के बंटवारे का हो। एक यू-ट्यूबर ने राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेस को फ्लॉप शो बताया है। दूरदर्शन के जमाने में दिवंगत जसपाल भट्टी का एक राजनीति पर, व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर कटाक्ष करता हुआ कमेडी शो आता था, उसका नाम भी फ्लॉप शो ही था। अब राहुल की प्रेस कांफ्रेस को कॉमेडी-शो बताया जा रहा है। एक यू-ट्यूबर ने राहुल की प्रेस कांफ्रेस को शीर्षक दिया है, फटा पोस्टर निकला जीरो। राहुल की प्रेस कांफ्रेस में पत्रकारों के सवाल कम हुए, राहुल गांधी ज्यादा बोले। उन्होंने कोई नई बात नहीं की, वही अडानी-अडानी करते रहे। बाद में किसी जादूगर वाले शो जैसा शो किया। राहुल गांधी ने पहले सफेद चादर से ढकी तिजोरी दिखाई, फिर तिजोरी खोली और दो पोस्टर निकाले। गौतम अडानी के बहाने राहुल गांधी ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पर सीधे हमला बोला। राहुल गांधी ने अडानी के धारावी प्रोजेक्ट के जरिए 'एक हैं तो सेफ हैं' वाले नारे पर बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने दो पोस्टर दिखाते हुए सवाल किया आखिर सेफ कौन है? राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिजोरी से निकालकर जो पोस्टर दिखाए, उनमें से एक में पीएम मोदी और गौतम अडानी की एक दूसरे के सामने हाथ जोड़े हुए तस्वीरें थीं, दूसरे में धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का साइट मैप था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और मुंबई की जनता की कीमत पर केंद्र की भाजपा और राज्य की महायुति सरकार गौतम अडानी को फेवर कर रही है। उन्होंने कहा कि अडानी को धारावी दिया जा रहा है, देश के एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, पोर्ट दिए जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर से भी जुड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह बिना राजनीतिक समर्थन के संभव नहीं है कि विभिन्न बिजनेस सेक्टर में एक ही उद्योग समूह का एकाधिकार हो। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी राज में सिर्फ अडानी सेफ हैं और देश की जनता अनसेफ है। उनके इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। उलटा आरोप मढ़ा कि कांग्रेस का हाथ सदा से अडानी के साथ रहा है, यानी कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। राहुल गांधी ने पोस्टर जारी किया, तो बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया। राहुल ने पीएम और अडानी पर हमला करते हुए पोस्टर दिखाया, तो बीजेपी ने सोनिया और राहुल गांधी का पोस्टर लहराया। मुंबई में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। विनोद तावड़े ने कहा कि हमने धारावी की जमीन किसी को नहीं दी है। राहुल गांधी जान लें, धारावी की जमीन महाराष्ट्र सरकार की ही रहेगी। आपने कहा कि हम गरीबों को वहां से हटाना चाहते हैं। यह टेंडर महा विकास अघाड़ी के समय बनी टेंडर शर्तों के आधार पर जारी किया गया था। सच तो ये है कि जो धारावी में रहेगा, उसे वहीं घर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हिसाब से देखें, तो इस देश में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश महायुति सरकार के दौरान आया था। आपके समय में महाराष्ट्र की रैंकिंग नीचे चली गयी। क्या राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत, रेवंत रेड्डी, शशि थरूर और अन्य कांग्रेस नेताओं के बारे में भूल गए हैं, जिन्होंने गौतम अडानी के साथ तस्वीरें खिंचवाई थीं? क्या अपने लॉकर में रखने के लिए उनके पास अपने नेताओं की तस्वीरें नहीं थीं। हम एक हैं तो सुरक्षित हैं, राहुल गांधी फेक हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कांफ्रेस में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी जैसी भावना होती है, उसे सेफ का अर्थ भी वैसा ही समझ आएगा। हमारे नेता पीएम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं में, सेफ का अर्थ सुरक्षा से है। पीएम मोदी इस बात की चिंता करते हैं कि भारत के लोगों को कैसे घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए। वहीं, सेफ का अर्थ तिजोरी से भी होता है, जो राहुल गांधी समझते हैं। कांग्रेस तिजोरी में सेंध मारती है। वर्षों से दादा, परदादा, दादी, पापा-मम्मी सबने मिलकर सेंध मारने का काम किया है। तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा। इसमें गलती किसी की नहीं है। गलती उस खानदान की है, जिसने बार-बार तिजोरी में सेंध मारने का काम किया। 'पात्रा ने कहा कि इन्होंने बार-बार घोटाले पर घोटाला करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। नेशनल हेराल्ड केस में 5 हजार करोड़ का घोटाला, 2-जी केस में 1 लाख 46 हजार करोड़ का घोटाला। एंट्रिक्स-देवास केस में 1 हजार करोड़, कोल स्कैम में 10 लाख करोड़ का घोटाला और अगस्ता-वेस्टलैंड केस में 3600 करोड़ का घोटाला। ये घोटाले के सारे पैसे गांधी परिवार की तिजोरी में बंद हैं। नेशनल हेराल्ड केस में मां आरोपी नंबर वन हैं और बेटा आरोपी नंबर दो। दोनों बेल पर बाहर हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तिजोरी में कांग्रेस के पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। 23 को जब नतीजे आएंगे, तो यही सच्चाई दिखेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी के 'एक हैं तो सेफ हैं' के नारे पर या फिर राहुल गांधी द्वारा इस नारे की की व्याख्या पर भरोसा करती है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। संबित पात्रा ने राहुल की प्रेस कांफ्रेस पर कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेस बेहद निचले स्तर की थी। उन्होंने कहा कि तिजोरी पकड़ कर लाना और नाटक करना राहुल गांधी और कांग्रेस को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी के पास वही पुराना टेप रिकॉर्डर है और वही पुराने दो-तीन नाम को लगातार दोहराते रहते हैं। पात्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का एक पुराना इंटरव्यू देखा, जिसमें जब बालासाहेब ठाकरे से राहुल गांधी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उस छोटा पोपट के बारे में मत पूछिए। पात्रा ने कहा कि इस छोटा पोपट ने कांग्रेस को चौपट कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नाम आज के बाद छोटा पोपट पड़ने वाला है। बीजेपी सांसद ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने ही राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा था।

चार तीर

सुनील उत्सव

"बात" "शक्ल" "इन्सान" "शैतान"

बात जहरीली करेंगे शक्ल से इन्सान हैं।
हरकतों से लग रहा है आज के शैतान हैं।।
जाने ये क्या बन गया है सोचते होंगे प्रभु,
आदमी को देखकर भगवान भी हैरान है।

कांवड पटरी मार्ग पर बाइक सवार दो चचेरे भाईयों की हादसे में मौत

मेरठ, 19 नवंबर (एजेंसी)। सरधना में चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर बाइक पर सवार चचेरे भाईयों की मौत हो गई। परिवार में सूचना के बाद मचा कोहराम। दोनों युवक शादी से घर लौट रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दूसरी ओर करनाल हाईवे पर आज सुबह कोहरे के भीषण हादसा हुआ है। जिसमें कई गाड़ी आपस में टकरा गई है। जानकारी के अनुसार गांव गोटका निवासी किसान सुखवीर सिंह पुत्र बल्लू भैंसा बुग्गी को लेकर खेत में काम करने जा रहा था। जैसे ही वह गोटका गांव के बाहर हाईवे पर पहुंचा तो तेज रफ्तार बॉलरों कर कार की टक्कर लगाई। कार की टक्कर लगने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान का भैंसा की मौत हो गई। देखते ही देखते पांच ट्रक पीछे से आपस में टकरा गए। गनीमत रही किसी अन्य को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। वही, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। किसान की सरधना के हॉस्पिट में भर्ती कराया। जहां से उसे मेरठ के रेफर कर दिया है। मौके पर दोनों साइड भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने करीब एक किलोमीटर पहले रुकवाकर वाहन चालकों को धीरे चलने को कहा है।

श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के संस्थापक चेयरमैन डॉ. एससी कुलश्रेष्ठ सम्मानित

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के संस्थापक चेयरमेंन डॉ. सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ को प्रबन्ध समिति श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र वहलना द्वारा जैन कन्या पाठशाला (पी0जी0) कॉलेज के सभागार में सम्मानित किया गया। प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन, सचिव संजय कुमार जैन, प्रबन्ध समिति के कोषाध्यक्ष मनोज जैन एवं सदस्य पवन जैन, राजेन्द्र जैन, नीरज कुमार एवं प्राचार्या डॉ. सीमा जैन आदि ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिये डॉ. कुलश्रेष्ठ को प्रशस्ति-पत्र भेंट किया और पगड़ी व शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनन्दन किया गया। श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र वहलना की प्रबन्ध समिति द्वारा जैन कन्या पाठशाला (पी0जी0) कॉलेज के सभागार में डॉ. एससी कुलश्रेष्ठ के सम्मान में अभिनन्दन समारोह आयोजित किया गया। डॉ. कुलश्रेष्ठ का व्यक्तित्व विकास विषय पर अतिथि व्याख्यान कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में अद्वितीय व्यक्तित्व का स्वामी है। सभी व्यक्तियों में विभिन्न प्रतिभायें विद्यमान हैं, आवश्यकता है उन प्रतिभाओं को पहचानने और विकसित करने की। समिति के अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि डॉ. कुलश्रेष्ठ अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने मुजफ्फरनगर को शिक्षा के क्षेत्र में जिस मुकाम पर पहुँचाया है, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। डॉ. कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में श्रीराम कॉलेज ने देश के 25 सर्वोच्च संस्थानों में स्थान पाकर जनपद का जो गौरव बढ़ाया है। समारोह के दौरान प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन, सचिव संजय कुमार जैन, कोषाध्यक्ष मनोज जैन एवं सदस्यगण पवन जैन, राजेन्द्र जैन, नीरज कुमार, प्राचार्या डॉ. सीमा जैन आदि उपस्थित रहे।

उद्योग व्यापार संगठन ने किया विभागीय कमेटियों का गठन

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल ने सरकारी विभागों में व्यापारी उत्पीड़न की शिकायतों एवं बढ़ती परेशानियों से निजात दिलवाने को कमेटियों का गठन किया। नगराध्यक्ष एवं कार्यकारी जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी को नगर कार्यकारिणी भंग कर 15 दिनों में नई कार्यकारिणी गठित करने का आदेश दिए। इस दौरान प्रशासनिक एवं जीएसटी विभाग कार्य संबंधी कमेटी प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णगोपाल मित्तल के नेतृत्व में स. सतपाल सिंह सल, देवराज पंवार, अभिमन्यु, सुभाष मित्तल, सतीश मोहन, पंकज जैन गांधी टैंट, मनोज जैन एलजी को बनाया गया। पुलिस प्रशासन विभाग कार्य संबंधी कमेटी में स. बलविन्दर सिंह सल प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में पवन वर्मा, ठा. विजय प्रताप सिंह, अभिनव वर्मा, सुनील वर्मा, डॉ. शौकी, विजय कुच्छल, मौ. भूरा कुरैशी, कमल कांत शर्मा, इकरार फारूखी, नगर पालिका विभाग कार्य संबंधी कमेटी में कार्यकारी जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी के नेतृत्व में राजेन्द्र अरोरा, सुनील अरोरा विक्की, जय इन्द्र प्रकाश, संजीव संगम, प्रवीण जैन हुण्डई, योगेश शर्मा (भारत गैस) पंकज लूथरा, मौहब्बत त्यागी, विजय तनेजा, मनोज शर्मा, ममुद आरिफ एवं विकास प्राधिकरण विभाग कार्य सम्बन्धी कमेटी में अविनाश त्यागी व विशाल जैन महामंत्री के नेतृत्व में प्रवीण त्यागी, प्रियांशु जैन, आदित्य बंसल, नितिन शर्मा, गौरव जैन, बंटी अग्रवाल, लाला संजय शर्मा, मनीष चौहान, संजू मलिक, अक्षलेन्त प्रताप, जितेन्द्र जैन टोनी, नरेश सिंघल, विद्युत विभाग कार्य संबंधी कमेटी प्रदेश युवा उपाध्यक्ष तरूण मित्तल के नेतृत्व में भूपेन्द्र गोयल, अतुल गोयल, ब्रजकुंवर गर्ग, हर्षद राठी, आनन्द गुप्ता, इम्तयाज खान, विशाल जैन, गौटक जैन, संदीप पुंडीर, कार्तिक गोयल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सम्बन्धित विभाग की कमेटियों की हर माह अधिकारियों साथ बैठक होने के साथ समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापारी भी उपस्थित रहेंगे।

पानीपत-खटीमा हाईवे पर कभी भी घट सकता है कोई बड़ा हादसा

-ठेकेदार के द्वारा सिखेड़ा पुल की शुरुआत में ही बड़े-बड़े पत्थरों से बैरिकेडिंग करके रोका गया है रास्ता - पत्थरों पर नहीं की गई है रेड टेप या रेडियम से मार्किंग

जानसठ / सिखेड़ा, 19 नवंबर (बु.)। मुजफ्फरनगर के बाईपास से मीरापुर के मोंटी तिराहे तक पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। इसी हाईवे पर सिखेड़ा पुल पर कुछ निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसके चलते पुल की एक साइड को चालू किया गया है, परंतु ठेकेदार की लापरवाही का आलम यह है कि उसी साइड को बड़े-बड़े पत्थरों से रोका गया है, परंतु एक दो पत्थर हटाकर छोटे वाहनों की आवाजाही का रास्ता भी छोड़ गया है। पिछले तीन-चार दिन से क्षेत्र में भयंकर धुंध छाई हुई है, जिसमें विजिबिलिटी जीरो हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की स्पीड काफी होती है और जीरो विजिबिलिटी के साथ जब गाड़ियां आएंगी तो उनको ये बड़े-बड़े पत्थर नहीं दिखाई देंगे, जिससे गाड़ियों के टकराने का अंदेशा बना हुआ है और कोई भी बड़ा हादसा कभी भी घट सकता है।

ट्रक ने गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से मारी टक्कर- दो किसान घायल

जानसठ / सिखेड़ा, 19 नवंबर (बु.)। भयंकर धुंध के चलते ट्रक ने गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मारी, जिससे दो किसान घायल हो गए। घायलों को सीएचसी जानसठ भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मंगलवार की सुबह भी कवाल निवासी गुरजीत सिंह व राजकुमार मंसूरपुर चीनी मिल में अपने गन्ने डालने जा रहे थे। जैसे ही वह पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर सिखेड़ा थाने के सामने पहुंचे, तो वहां पर जाम के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली रुकी हुई थी। इसी के पीछे एक ट्रक आकर और रुक गया, परंतु कोहरा इतना अधिक था कि उसके पीछे से जो ट्रक आ रहा था, उसने तेजी से जाकर पीछे खड़े ट्रक में टक्कर मारी, जिससे वह ट्रक और उसके आगे वाला ट्रक ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराया और ट्रॉली पलट गई। दोनों किसान ट्रैक्टर से गिरकर घायल हो गए, जिनको राहगीरों की मदद और पुलिस की सहायता सीएचसी जानसठ में भर्ती कराया गया, जहां से एक किसान की हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

दबंगों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, वीडियो वायरल

बुढ़ाना, 19 नवम्बर (बु.)। गांव कुतुबपुर दताना में एक ही जाति के दो पक्ष आपस में मामूली सी बात पर भिड़ पड़े। एक पक्ष दबंग बताया गया है, जिन्होंने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में पांच दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब दबंगों ने पीड़ित पक्ष को गांव में आने पर हत्या की धमकी दी है। पीड़ित पक्ष गांव में नहीं है। बस दो बच्चों को पुलिस ने घर में छोड़ा है बाकी इधर उधर घायल अवस्था में दबंगों से डरे हुए फिर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र की उकावली पुलिस चौकी के गांव कुतुबपुर दताना में बीती सोमवार की देर शाम कश्यप समाज के एक पक्ष की लड़की दूध लेकर अपने घर आ रही थी कि इसी जाति के दूसरे लड़के की टक्कर लड़की से हो गयी तो सारा दूध बिखर गया। लड़की ने घर जाकर बताया तो तो लड़की पक्ष के तीन लोग लड़के के घर मालूम करने गये कि तुमने दूध क्यों गिराया तो आरोप के मुताबिक लड़के पक्ष के लोगों ने तीनों को पीट दिया और भगा दिया, तब लड़की पक्ष के दर्जनों लोगों ने लड़के पक्ष के घर में घुसकर राखी और उसके बच्चों के साथ मारपीट की और घर में तोड़फोड़ कर दरवाजा भी तोड़ दिया, जिसका वीडियो मंगलवार की सुबह वायरल हो गया। राखी पक्ष के लोग बुढ़ाना में अपनी रिश्तेदारी में आए तो दबंगों ने उनके घर में ताला लगा दिया और पशुओं की भी पिटाई की।

पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने परिवार के दो बच्चों को अपनी सुपुर्दगी में उनके घर पर छोड़ा और पीड़िता राखी कश्यप की तहरीर पर बोबी कश्यप व सेठू पुत्रगण जल सिंह, गौरव पुत्र शंकर और अनुश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब पीड़िता राखी के परिवार के सदस्य डर रहे हैं क्योंकि आरोपी ने उनको गांव में आने पर हत्या की धमकी दी है।

'साहब... मेरे घर पर चलवा दें बुलडोजर', अजब फरियाद लेकर पहुंचा शख्स

शाहजहांपुर, 19 नवंबर (एजेंसी)। शाहजहांपुर के नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को संभव के तहत जनसुनवाई दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नगर आयुक्त डॉ. बिपिन कुमार मिश्र ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। इस बीच एक फरियादी अपने ही मकान को तुड़वाने की फरियाद लेकर पहुंचा। चिनौर निवासी अतुल ध्यानी ने बताया कि उनकी दुकान के किरायेदार ने पिता से दो साल का एग्रीमेंट किया था। पिता का निधन होने के बाद एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब वो चाहते हैं किरायेदार उनसे दुकान का एग्रीमेंट करे। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा और कब्जा कर रखा है। उनकी मां की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दुकान खाली कराने की मांग की गई है, लेकिन भाई द्वारा फर्जी तरीके से किरायेदार के नाम बैनामा करवाया जा रहा है। उनकी मांग है कि किरायेदार को हटाया जाए। साथ ही बताया कि उनके मकान का चार फीट हिस्सा नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर बना है। उसको भी बुलडोजर चलवा कर तुड़वाया जाए। संतराम सिंह कुशवाह ने बताया कि चिनौर में नाला बन रहा है, जिसका काम धीमी गति से हो रहा। इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। जिस पर नगर आयुक्त ने निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बहादुरगंज निवासी लक्ष्मीकांत मिश्र ने बताया कि खिरनीबाग में कालीबाड़ी मंदिर के पास जमीन को लेकर विवाद न्यायालय में चल रहा था। उसका निस्तारण हो गया है, लेकिन अराजक तत्व दीवार नहीं खड़ी करने से रहे। कटिया टोला के राजेश कश्यप ने आर्य महिला इंटर कॉलेज के पास लगे इंडिया मार्का हैंडपंप के खराब होने की शिकायत की।

शिव मंदिर में हो रहा था निकाह, भनक लगते ही हिंदू संगठन ने काटा बवाल

मोदीनगर, 19 नवंबर (एजेंसी)। गोविंदपुरी कॉलोनी स्थित मंदिर परिसर में सोमवार को चल रहे निकाह समारोह का हिन्दू युवा वाहिनी ने विरोध करते हुए हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए निकाह समारोह रुकवा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। हिन्दू युवा वाहिनी के नेता नीरज शर्मा ने मंदिर कमेटी के खिलाफ तहरीर दी है। गोविंदपुरी स्थित शक्तिधाम मंदिर परिसर में सोमवार को सुदामापुरी कॉलोनी निवासी व्यक्ति की पुत्री का निकाह समारोह था। बरात लोनी से आई थी। मंदिर परिसर में निकाह समारोह की सूचना से हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकताओं में आक्रोश पैदा हो गया। संगठन के वरिष्ठ नेता नीरज शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मंदिर पहुंच गए और हंगामा किया। हंगामा होते देख काजी ने निकाह रोक दिया। नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि निकाह समारोह की दावत में मांसाहार होता है और मंदिर जैसे देव स्थान पर मांसाहार नहीं किया जाता। निकाह समारोह में हिन्दू युवा वाहिनी के हंगामे की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। एसएचओ प्रशांत त्यागी पुलिस बल के साथ मंदिर परिसर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। विरोध के कारण मंदिर परिसर में चल रहा निकाह समारोह रुकवा दिया गया। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने अपने घर पर निकाह की व्यवस्था की। हंगामे के कारण अधिकांश बराती वापस लौट गए। काजी ने घर पर निकाह की रस्म पूरी कराई। दुल्हन पक्ष ने बताया कि मंदिर कमेटी से अनुमति के बाद वहां समारोह रखा गया था। दावत में केवल शाकाहारी भोजन तैयार कराया गया था।

हिंसक कुत्तों ने 24 घंटे में 18 लोगों को दौड़ाकर काटा

मुरादाबाद, 19 नवंबर (एजेंसी)। ठाकुरद्वारा के विभिन्न इलाकों में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। कुत्तों ने 18 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। कुत्तों के काटने से ठाकुरद्वारा निवासी रहनुमा, कालाझंडा की अलफिजा, ठाकुरद्वारा वार्ड 13 के हरगोविंद, शरीफनगर के अर्श, वार्ड 24 के आयाज जख्मी हो गए। इसके अलावा राजपुर मिलक की अलीशा उदयपुर के आनंद सिंह, गबनवाला के अशोक, वार्ड 16 की सहाना और वार्ड 17 की हृदयेश, बधुआखेड़ा की माही, मोहिउद्दीनपुर के मो. अखिल, छोटेलाल, कालाझंडा के कृष्णा, भरतावाला की आराधना और पलकभी घायल हो गई। रतूपुरा निवासी संजय और फरीदनगर निवासी विनोद भी कुत्तों के हमले में जख्मी हुए हैं। सभी के एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाकर उनका इलाज किया गया। चौबीस घंटे के भीतर 18 लोगों पर कुत्तों के हमले से हड़कंप मचा है।

मणिपुर में कुछ बड़ा होने वाला है

नई दिल्ली, 19 नवंबर (एजेंसी)। मणिपुर के लिए अगले '240' घंटे बहुत अहम हैं। हिंसा से प्रभावित राज्य में कुछ बड़ा होने की आहट सुनाई पड़ रही है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में विद्रोहियों एवं दूसरे अपराधियों से निपटने के लिए सख्त कदम अख्तियार करने का मन बना लिया है। नवंबर माह के दौरान अभी तक मणिपुर में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 70 कंपनियां, यानी 7000 जवानों को रवाना कर दिया है। ये सभी जवान 30 नवंबर तक राज्य में तैनात रहेंगे। खास बात है कि मौजूदा समय में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 288 कंपनियां तैनात हैं। इन्हें भी 30 नवंबर तक तैनाती का आदेश मिला है। सूत्रों के अनुसार, इस बार केंद्र सरकार मणिपुर में बड़े एक्शन प्लान की तैयारी कर रही है। शांति स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से भी केंद्र पर भारी दबाव है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' को लीड रोल में रखा जा रहा है। विद्रोहियों और हिंसक वारदातों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। म्यांमार से लगती सीमा पर बड़ा सर्च अभियान चलेगा। घाटी के विभिन्न हिस्सों और बफर जोन के आसपास ऑपरेशन शुरू होगा।

अहम हैं 240 घंटे, तैयार हैं सुरक्षाबलों की 288 कंपनियां

क्रांति सेना महिला मोर्चा का बढ़ा कुनबा, दी नई जिम्मेदारी

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। क्रांति सेना के कार्यालय प्रकाश चौक पर मंगलवार को महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने विरांगना रानी लक्ष्मी बाई जी की जयंती मनाते हुए लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। इस दौरान महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने निधि शर्मा को क्रांति सेना की सदस्यता ग्रहण की। वहीं मोहन पंडित चरथावल ब्लॉक से अपने साथियों के साथ क्रांति सेना की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सविता गौतम को जिला सचिव, मीनू शर्मा को उपाध्यक्ष एवं मितलेश गिरी जिला उपाध्यक्ष, बनाया गया। कार्यक्रम में अंजू त्यागी महामंत्री, कंचन बाटला संगठन मंत्री, शालू चौधरी महानगर अध्यक्ष, मीनू शर्मा जिला उपाध्यक्ष, सविता गौतम सचिव, निधि शर्मा, अनोखी दूबे मीडिया प्रभारी आदि दर्जनों महिलाएं इस बीच मौजूद रही।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने व्यवस्थाओं में किया बदलाव, अत्यावश्यक मामलों के लिए तय किए दिन

नई दिल्ली, 19 नवंबर (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिसके तहत अब पीठें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को आंशिक रूप से सुने गए नियमित और अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। बात अगर पहले की व्यवस्था की करें तो सुप्रीम कोर्ट की पीठें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को नियमित मामलों की सुनवाई करती थीं जिन्हें गैर-विविध दिन कहा जाता था। वहीं सोमवार और शुक्रवार को विविध दिन होते थे जब नए मामलों और नोटिस के बाद आने वाले मामलों की सुनवाई होती थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना ने नोटिस के बाद के मामलों की लंबितता को कम करने के लिए हाल ही में व्यवस्था में बदलाव किया है। जिसके तहत अब मंगलवार बुधवार और गुरुवार को स्थानांतरण याचिकाओं, जमानत मामलों और अन्य विविध मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा इन दिनों कोई नियमित मामला नहीं सुना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव मुख्य रूप से नोटिस के बाद के मामलों की लंबितता को कम करने के लिए किया गया है। जानकारी के अनुसार अगर जरूरत पड़ी तो इस व्यवस्था की समीक्षा दिसंबर 2024 में या उससे पहले की जाएगी। बता दें कि अभी तक नोटिस के बाद मामले कुल 37,317 हैं जिसमें 20,930 मुख्य और 16,387 जुड़े हुए मामले शामिल हैं। वहीं नियमित मामलों की संख्या लगभग 21,639 है, जिसमें 10,988 मुख्य और 10,651 जुड़े हुए मामले हैं।

संभल में जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा

संभल, 19 नवंबर (एजेंसी)। संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए कोर्ट में दावा डाला गया है। संभल के केला देवी मंदिर के ऋषिराज गिरी समेत पांच वादकारियों ने सिविल जज सीनियर डिविजन संभल स्थित चंदौसी में दावा दाखिल किया है। कोर्ट ने आगामी तारीख 29 नवंबर 2024 दी है। वादी गण विष्णु शंकर जैन एडवोकेट व ऋषिराज गिरि केला देवी मंदिर संभल ने जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। ये दावा सिविल जज सीनियर डिविजन संभल स्थित चंदौसी की अदालत में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में प्रेक्टिस करने वाले हरिशंकर जैन की ओर से उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन ने प्रस्तुत किया। जिसमें विवादित परिसर के सर्वे के लिए न्यायालय से वकील कमिश्नर नियुक्त किए जाने की भी मांग की है तथा सर्वे के समय वीडियो और फोटो ग्राफी के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया गया है। विष्णु शंकर जैन एडवोकेट ने बताया कि संभल में हरिहर मंदिर था। जिसे तोड़ कर जामा मस्जिद बना दी गई। वो एक पुरातत्व विभाग द्वारा निरक्षित इमारत है। इसके बावजूद हिंदू पूजा रोक दी गई। गलत ढंग से बल पूर्वक वहां नमाज अदा की जाने लगी। इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है कि सन 1529में बाबर ने यहां हरिहर मंदिर को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया था। इसका प्रमाण बाबर नामा में भी मिलता है। आज इसी बाबत सिविल जज सीनियर डिविजन संभल स्थित चंदौसी के सामने दीवानी दावा किया गया है। जिससे हरिहर मंदिर का सच कोर्ट के सामने आ सके। वादी गण के स्थानीय अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्

शालीमार रद्द रहने से दैनिक यात्री हल्कान, देरी से चली प्रमुख ट्रेनें

मुजफ्फरनगर, 19 नवंबर (बु.)। कोहरे में रेल और सड़क यातायात की हालत बिगड़ गई है। इसके चलते आज शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहने से जहां यात्री परेशान दिखे, वहीं तमाम अन्य प्रमुख रेलगाड़ियां दो से ढाई घंटे देरी से चलने के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई। कोहरा सड़कों पर हादसे के रूप में दिख रहा है, वहीं सड़कों पर कोहरे में वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। दूसरी तरफ रेलगाड़ियों का संचालन भी इससे प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण शालीमार एक्सप्रेस रद्द होने से दैनिक यात्री समेत वे सभी लोग परेशान हैं, जिन्हें वैष्णोदेवी या राजस्थान के सुदूर इलाकों की यात्रा पर जाना होता है। आज भी इसके रद्द रहने से यात्री बेहाल दिखे। दूसरी ओर उत्कल, साबरमती और इंटर सिटी दो से ढाई घंटे विलंब से चलने के कारण यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गईं। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसी के चलते ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अभी कोहरे से निजात मिलने के आसार ना होने से यात्रियों को गाडियों की स्थिति जानकर ही बाहर निकलने को कहा गया है। रेलवे के अनुसार कोहरे के सीजन में समयबद्ध संचालन के लिए ट्रेनों में फॉग डिवाइस लगाई गई है, लेकिन यह डिवाइस भी कोहरे की चादर को नहीं भेद पा रही हैं। कोहरे के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी जारी है। ट्रेनों की जानकारी लेने के लिए पूछताछ केंद्र पर भीड़ है। इसके अलावा यात्री रेलवे एप पर भी ट्रेनों की लोकेशन चेक कर रहे।

पंजाबी समाज के अध्यक्ष व चेयरमैन पद के बाद अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के नामों पर लगी मुहर

▶ पूर्व अध्यक्ष सुखदर्शन सिंह बेदी बने मुख्य संरक्षक, नील कमल पुरी चेयरमैन तो अंकुर दुआ को बनाया गया समाज का अध्यक्ष ▶ वाइस चेयरमैन के रूप में मनोज बाठला व अशोक डोडा एडवोकेट के नाम पर लगी मुहर

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। यूं तो पंजाबी समाज की पुनःगठित टीम में अध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को सर्वसम्मति से कुछ दिन पूर्व ही निर्वाचित कर दिया गया था, मगर सोमवार को इस पर अंतिम मुहर लगाने का काम किया गया।

पंजाबी समाज के वरिष्ठ लोगों के बीच इस कमेटी को वरिष्ठता के क्रम में अंतिम रूप दिया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष सुखदर्शन बेदी को मुख्य संरक्षक के रूप में रखा गया, वहीं चेयरमैन की घोषणा नील कमल पुरी व अध्यक्ष की घोषणा मुजफ्फरनगर बुलेटिन के संपादक व भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य अंकुर दुआ के नाम पर की गई। वाइस चेयरमैन के रूप में मनोज बाठला (प्रकाशक बाठला पब्लिकेशन) व अशोक डोडा एडवोकेट को मनोनीत किया गया। वहीं महासचिव पद पर प्रवीण खेड़ा, सागर वत्स व पवन छाबड़ा नियुक्त हुए। इसी क्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद डावर, अनिल सोबती व यश कपूर को घोषित किया गया। प्रभारी के रूप में अशोक बाठला को चुना गया। उद्योगपति कुश पुरी को पूर्व अध्यक्ष के रूप में कमेटी के वरिष्ठ क्रम में रखा गया। वहीं कुलभूषण बजाज कोषाध्यक्ष के रूप में घोषित किये गये। सह कोषाध्यक्ष के पद के साथ साथ उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सचिव, संगठन मंत्री, प्रचार प्रसार मंत्री, मीडिया प्रभारी, कानूनी सलाहकार समिति, प्रबुद्ध जन मंच समिति, पंजाबी समाज शिक्षा समिति व संरक्षकों तथा संस्थापक सदस्यों पर भी विशेष मंथन किया गया। उक्त मंथन पर अंतिम मुहर जल्द ही लगा दी जायेगी। उक्त सभी पदों के लिए कई नाम समाज के वरिष्ठ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के समक्ष रखे गये, जिनमें उपाध्यक्ष के रूप में लगभग आठ से अधिक नाम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सामने रखे गये, जिनके नामों की विधिवत घोषणा अंतिम मुहर लगते ही कर दी जायेगी। इसी क्रम में संयुक्त सचिव व सचिव के पद पर भी आठ से अधिक नामों की सूची वरिष्ठ कमेटी के सामने रखी गई। सह सचिव पद पर भी लगभग नौ नाम कमेटी के सामने रखे गये। संगठन मंत्री के पद पर भी आठ से अधिक लोगों के नये नाम सुझाये गये। इन पर भी मुहर लगनी तय मानी जा रही है। प्रचार प्रसार मंत्री, मीडिया प्रभारी, सह कोषाध्यक्ष, कानूनी सलाहकार, पंजाबी समाज शिक्षा समिति व संरक्षकों के भी नाम लगभग तय कर लिये गये हैं। जल्द ही इन नामों पर सूझबूझ से निर्णय लेकर वरिष्ठ कमेटी अंतिम निर्णय लेते हुए अपनी मुहर लगा देगी। वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में अन्य गणमान्य व वरिष्ठ पंजाबी समाज के लोग मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से वरिष्ठ कमेटी के साथ साथ श्याम मल्होत्रा, सिद्धार्थ बाठला, मनोज भगत अध्यापक, अमरजीत सिडाना, राजेन्द्र साहनी, चन्नी बेदी आदि सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।

अन्य वरिष्ठ पदों की घोषणा जल्द

मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ कमेटी की घोषणा के बाद अभी अन्य कुछ वरिष्ठ पदों उपाध्क्ष, सचिव, संगठन मंत्री, संरक्षक, शिक्षा समिति, कानूनी सलाहकार, मीडिया प्रभारी आदि सभी पदों की महत्वपूर्ण घोषणा होनी बाकी है। अगले दो-तीन दिनों में इन सभी पदों पर घोषणा कर दी जायेगी। वरिष्ठ कमेटी द्वारा अंतिम लिस्ट पर मोहर लगाई जानी बाकी है। नामों का चयन लगभग तय हो चुका है। चूंकि कमेटी में इस बार वरिष्ठ पदों पर नये लोगों को भी शामिल किया जाना है, जिसके चलते एक चर्चा होनी बाकी है। उक्त चर्चा के बाद इन नामों पर अंतिम मोहर लगा दी जायेगी।

दिल्ली-एनसीआर पर छाई स्मॉग की मोटी चादर को हटाने के लिए करवानी पड़ेगी बारिश

नई दिल्ली, 19 नवंबर (एजेंसी)। राजधानी को गैस चैंबर से निकालने के लिए दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश करवाने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से संपर्क किया है। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह को भेजे गए पत्र में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि मौजूदा समय में दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। इससे लोगों का दम घुट रहा है। इसको हटाने के लिए कृत्रिम वर्षा करवानी पड़ेगी। इसके लिए केंद्र को आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से दखल देने की मांग की है। गोपाल राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो या फिर बिहार ही क्यों न हो, आज पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेल रहा है। आसमान पर स्मॉग की एक चादर फैली हुई है। वातावरण में मौजूद प्रदूषित कण बुजुर्गों और बच्चों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप 4 की पाबंदियों लागू कर दी गई हैं। विशेषज्ञों से चर्चा के बाद यह बात सामने आई है कि अब वह समय आ गया है कि स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए कृत्रिम बारिश करवाई जाए। इसलिए चौथी बार फिर से केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि वह तुरंत दिल्ली सरकार और कृत्रिम बारिश की सलाह देने वाले आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की बैठक बुलाएं। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन निदेशालय समेत दूसरे संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

नगर पालिका ने कसी कमर, एई और एनएसए को दिया नोटिस

▶ कूड़ा जलाने व निर्माण सामग्री खुले में दिखने पर होगा जुर्माना
▶ डीएम के आदेश पर ईओ ने प्रतिदिन मांगी अभियान की रिपोर्ट

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। दिल्ली एनसीआर के साथ वेस्ट यूपी में वायु प्रदूषण को लेकर लागू ग्रेप स्टेज-4 के नियमों को सख्ती के साथ लागू कराने को डीएम बेहद गंभीर दिखाई दिए। स्कूल बंदी के आदेशों के साथ उन्होंने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए काम करने को कहा है। ऐसे में जनपद की सभी निकायों को भी ग्रेप स्टेज-4 के नियमों का पालन कराने के लिए निर्देश मिले हैं। इसे लेकर नगर पालिका परिषद् मुजफ्फरनगर में हलचल तेज हो गई है। ईओ पालिका ने ऐसे में नगर स्वास्थ्य अधिकारी व सहायक अभियंता निर्माण को नोटिस जारी करते हुए उन्हें वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए व्यवस्था का दायित्व सौंपा है। शहर में कूड़ा जलाने व कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए खुले में निर्माण सामग्री डालने पर पालिका प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें उल्लघंन पर जुर्माना लगाकर कार्यवाही की तैयारी है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद डीएम उमेश मिश्रा के निर्देश पर पालिका बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम को सक्रिय हो गई है। इसके लिए मुख्य रूप से कूड़ा प्रबंधन और कंस्ट्रक्शन वर्क पर पाबंदी लगाने का काम शुरू करते हुए निर्माण विभाग में कार्यरत ठेकेदारों को नया काम अभी शुरू नहीं करने के नोटिस दिए गए हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उनमें भी निर्माण सामग्री को ढककर धूल प्रबंधन करते हुए कार्य करने की हिदायत दी है। इस कड़ी में पालिका ईओ प्रज्ञा सिंह ने डीएम के आदेश के बाद मंगलवार को सहायक अभियंता निर्माण अखण्ड प्रताप सिंह और नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें एनसीआर में ग्रेप द्वारा स्टेज-4 नियम लागू किए जाने के तहत शहरी क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण और निर्माण कार्य को लेकर प्रबंधन करने के लिए एनजीटी के साथ सीएक्यूएम के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। एनएसए को निर्देश दिए हैं कि शहर में कहीं पर भी खुले में कूड़ा जलाया नहीं जाना चाहिए। इसके लिए सभी सफाई नायकों के साथ प्रतिदिन अभियान चलाकर सतर्क दृष्टि रखी जाये। वहीं नगर में जहां भी कंस्ट्रक्शन एरिया हैं, प्राइवेट स्तर पर जहां बड़े निर्माण हो रहे हैं या पालिका एवं दूसरे विभागों द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, सभी की सूची बनाने के लिए एई निर्माण को निर्देशित किया है। साथ ही निर्माण विभाग की टीम लगाकर क्षेत्र में रोज भ्रमण करते हुए ऐसे भवन स्वामियों और ठेकेदारों व निर्माण सामग्री बेचने वालों को चिन्हित करने के लिए कहा है, जोकि निर्माण सामग्री को खुले में रखे हुए हैं।

इन्होंने कहा-
ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि ग्रेप द्वारा स्टेज-4 नियम लागू करने के कारण डीएम ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हैं, जिन्हें लेकर पालिका स्तर से टीमों को लगाया है। ऐसे में नगर में कूड़ा जलाने व निर्माण सामग्री खुले में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई ऐसा करते पाया जाता है तो एनजीटी नियमों के तहत उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट की सूची बनवाई जा रही है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जायेगी। बोर्ड को पालिका ने एंटी स्मॉग गन उपलब्ध कराई गई है। सुबह शाम पालिका टीमें जेई जलकल के नेतृत्व में भी बंदोबस्त में लगी हैं। ठेकेदारों और भवन स्वामियों को भी चिन्हित कराया जाएगा।

स्कूली बस व गन्ना लोडर की भिड़ंत में दर्जनों छात्राएं घायल

बुढ़ाना, 19 नवम्बर (बु.)। एक स्कूली बस और गन्ना लोडर की भिड़ंत में एक दर्जन के करीब छात्राएं घायल हो गयी, जिसमें 06 छात्राओं की हालत गंभीर बताई गयी है। पुलिस ने सभी घायल छात्राओं को हस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्व विधायक उमेश मलिक ने भी वहां पहुंचकर घायलों का हाल जाना। मिली जानकारी के अनुसार कांधला जनपद के भभीसा गांव में स्थित शिक्षण संस्था गायत्री देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक बस मंगलवार की सुबह करीब साढ़े आठ बजे समीपवर्ती गांव डूंगर, गांव सुन्ना और गांव सरनावली की छात्राओं को लेकर स्कूल जा रही थी। तब गांव डूंगर वाया गांव राजपुर गढी लिंक मार्ग पर स्कूल की बस विपरीत दिशा से आ रहे एक गन्ना लोडर से टकरा गई। तब आमने सामने की टक्कर में लोडर का पंजा बस का शीशा तोड़कर अंदर घुस गया। इस घटना में बस में बैठी करीब एक दर्जन छात्राएं घायल हो गई। बस तथा लोडर का चालक मौक से फरार हो गए। तब खेतों में काम कर रहे ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। तब सूचना मिलते ही फुगाना पुलिस तथा उप जिला अधिकारी राजकुमार भारती मौके पर पहुंच गए, तब

सभी घायल छात्राओं को कस्बे की सीएचसी पर भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। गंभीर अवस्था में 06 छात्राओं को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि स्कूल की बस तथा गन्ना लोडर को कब्जे में लिया गया है। बस तथा लोडर का चालक मौके से फरार हो गए। दोनों चालकों की तलाश की जा रही है।

दिल्ली में इन पेट्रोल-डीजल वाहनों पर होगा 20,000 का जुर्माना

नई दिल्ली, 19 नवंबर (एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाकर शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-4) के तहत लागू किए गए प्रतिबंध शुक्रवार को लागू हो गए। हालांकि, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत प्रतिबंधों को 18 नवंबर, सोमवार से स्टेज 4 तक बढ़ा दिया गया है। मौजूदा गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत 20,000 रुपये के भारी जुर्माने सहित सख्त दंड का सामना करना पड़ेगा। प्रतिबंध से विभिन्न श्रेणियों के वाहन प्रभावित होते हैं। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल हल्के मोटर वाहनों को अब दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं है। इसी तरह, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-III मानकों या उससे कम मानकों वाले डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन प्रतिबंधित हैं, जब तक कि वे आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के परिवहन में लगे न हों।

असम के करीमनगर जिले का नाम अब श्री भूमि

गुवाहाटी, 19 नवम्बर (एजेंसी)। असम के करीमनगर जिले का नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया गया है। मुख्य मंत्री हेमंत बिसवासरमा ने यह घोषणा की।

कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष का शांतिभंग में चालान किया

मीरापुर, 19 नवम्बर (बु.)। उपचुनाव को लेकर फोन पर विवादित वार्ता करने के चलते पुलिस ने काँग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया और उसका शांतिभंग में चालान कर दिया। उपचुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अराजक तत्वों पर कड़ी निगाहें लगाए हुए है। सोमवार की देर रात्रि कस्बे में उपचुनाव को लेकर फोन पर चल रही वार्ता के दौरान विवादित वार्ता करने के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नावेद खान को गिरफ़्तार कर किया तथा उसका शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया। इंस्पेक्टर बबलू सिंह वर्मा ने बताया कि नावेद खान चुनाव में अव्यवस्था फैला रहा था, जिसकी पुख्ता जानकारी मिलने पर उसका शांतिभंग में चालान किया गया है।

मतदेय स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगे पुलिसकर्मी : डीआईजी अजय साहनी

▶ मतदान केन्द्र के अंदर प्रत्याशी के सुरक्षाकर्मियों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। ▶ मतदान के चलते मेरठ व बिजनौर सीमा भी सील रहेगी। ▶ उपचुनाव से पूर्व डीआईजी अजय कुमार साहनी व एसएसपी अभिषेक पहुँचे मीरापुर थाने

मीरापुर, 19 नवम्बर (बु.)। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए डीआईजी सहारनपुर अजय कुमार साहनी, एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के साथ मीरापुर पहुँचे और सीओ जानसठ व इंस्पेक्टर समेत मौजूद पुलिस फोर्स को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिसकर्मी भी मतदेय स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल मतदानकर्मियों द्वारा बुलाने पर ही पुलिसकर्मी वहाँ जाएंगे।

कल (आज) मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी के चलते डीआईजी सहारनपुर अजय साहनी एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के साथ मंगलवार की दोपहर मीरापुर थाने पहुँचे तथा यहाँ मौजूद सीओ जानसठ यतेंद्र सिंह नागर व इंस्पेक्टर बबलू कुमार वर्मा व अन्य पुलिसफोर्स के साथ मीटिंग की और उन्हें चुनाव से सम्बंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिसकर्मी भी मतदेय स्थल के अन्दर सामान्य स्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे। बुधवार को जनपद की बिजनौर व मेरठ सीमा सील रहेगी, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ प्रवेश न कर सके। किसी भी प्रत्याशी का सुरक्षाकर्मी भी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। मतदान केन्द्र में किसी भी प्रकार के शस्त्र ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। डीआईजी ने कहा कि चुनाव के दौरान भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी, एसएसटी टीम तैनात रहेगी। उन्होंने

कहा कि पूरी विधानसभा को तीन सुपर जोन व 8 जोन में विभाजित किया गया है। सभी प्रत्याशियों को पूरी विधानसभा में तीन वाहनों की अनुमति दी गई है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर और शाम 6 बजे सम्पन्न होगा। चुनाव के दौरान अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में दर्जनों घायल

बुढ़ाना, 19 नवम्बर (बु.)। मंगलवार को कोहरे में हुए सड़क हादसों में दर्जनों वाहन एक दूसरे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए। मेरठ वाया करनाल हाइवे पर सुबह करीब 08 बजे गांव गढ़ी सखावतपुर तथा गांव लोई गांव के पास हुए सड़क हादसों में करीब आधा दर्जन वाहन चालक और कुछ यात्री घायल हो गये। जनपद रामपुर के बिलासपुर निवासी चालक इरफान अहमद का ट्रक लोई गांव के पास अचानक से कैंटर से टकरा गया। इस घटना में चालक इरफान अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया। तब इरफान के पीछे आ रही एक कार ट्रक से टकरा गई। कार चालक झांसी निवासी उमेश सिंह पुत्र राजकुमार घायल हो गया। मेरठ जनपद के कस्बा मलियाना निवासी प्रिया पुत्री जयवीर सिंह की कार दूसरी कार से टकरा गई। इस घटना में प्रिया भी घायल हो गई। शामली निवासी दंपति शिवानी और अनुज कुमार तथा मेरठ निवासी नरेंद्र कुमार की कार भी इस घटना में टकरा गई। इरफान अहमद निवासी शेखपुरा जनपद बागपत भी घायल हो गया। इन सभी घायलों को कस्बे की सीएचसी पर भर्ती करवाया गया है। इस घटना से हाइवे पर लंबा जाम लग गया। तब जाम खुलवाने में फुगाना पुलिस को पसीना छूट गया। करीब एक घंटे बाद हाइवे पर आवागमन चालू हुआ।

भाजपा नेता पर नोट बांटने का आरोप

मुंबई, 19 नवंबर (एजेंसी)। महाराष्ट्र में बुधवार को 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान से पहले राज्य में वोट के बदले नोट बांटने के मामले में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े पर लगे नोट बांटने के आरोप के बीच पालघर के जिला अधिकारियों ने मंगलवार को खुलासा करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक पुलिस टीम ने उस होटल से 9.93 लाख रुपये नकद और कुछ डायरियां बरामद किए गए हैं, जहां कुछ भाजपा कार्यकर्ता कथित तौर पर पैसे बांट रहे थे। बता दें कि अधिकारियों का ये बयान बहुजन विकास अघाड़ी (बीवीए) के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के विनोद तावड़े पर मतदाताओं के पैसे बांटने के आरोप के बाद आया है। जहां ठाकुर ने दावा किया था कि तावड़े मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 5 करोड़ रुपये बांटने विरार आए थे और वह एक होटल में थे।

जहर देकर ली भैंस की जान

भोपा, 19 नवम्बर (बु.)। क्षेत्र में जहरखुरानी गिरोह के सक्रिय हो जाने से पशुपालकों में हड़कम्प मच गया है। गांव निवासी बेलड़ा में जहर देने वाले गिरोह ने भैंस को जहर देकर मार डाला है। थाना क्षेत्र के ग्राम बेलड़ा निवासी शमीम ने बताया कि सोमवार को उसके घर पर कोई नहीं था। दोपहर को अचानक उसकी भैंस बीमार हो गई तथा कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो गई। जहर देकर भैंस की हत्या को लेकर पशु पालकों में दहशत व्याप्त हो गई। शमीम ने बताया कि भैंस के मरने से उसे लगभग एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पूर्व में भी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।

उपचुनाव में मतदान कराने को बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टी

▶ डीएम-एसएसपी ने नवीन मंडी से बूथों तक परखी व्यवस्थाएं
▶ आज 328 बूथों पर करेंगे कुल 3.24 लाख मतदाता मतदान

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। यूपी में उपचुनाव की बजी रणभेरी के बीच बुधवार को होने वाले मतदान में जनपद की मीरांपुर विधानसभा सीट के उप चुनाव को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मंगलवार देर सायं तक क्षेत्र में 328 बूथों पर पोलिंग पार्टियों ने अपने-अपने आवंटित पोलिंग स्टेशन के बूथ पर डेरा मोर्चा संभाल लिया। बुधवार सुबह सात बजे से शुरू होने वाले उक्त मतदान के लिए मंगलवार सवेरे से ही नवीन मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियों को रवानगी देने के लिए पुलिस-प्रशासन के अधिकारी जुटे रहे। इस बीच चुनाव प्रेक्षक व डीएम उमेश चन्द्र मिश्रा ने पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीरांपुर विस में बुधवार को होने वाले उपचुनाव में 3.24 लाख मतदाता कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मुजफ्फरनगर जिले की मीरांपुर विधानसभा सीट पर बुधवार को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां मंगलवार की शाम पोलिंग बूथों पर पहुंच गई। इससे पूर्व मंगलवार की सुबह मतदान कर्मी नवीन मंडी स्थल पर पहुंचे। जहां से ड्यूटी पर लगे कर्मचारी को ईवीएम के साथ चुनाव संबंधित अन्य सामग्री प्राप्त करने एवं उनके मिलान आदि की तमाम औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अपने पोलिंग बूथ की ओर रवाना हो गए। इस बीच कुछ कर्मियों के दोपहर तक ड्यूटी पर न पहुंच पाने के कारण कार्रवाई किए जाने के एनाउंस की आवाजें कर्मियों को ड्यूटी के प्रति उपेक्षा करने से पीछे धकेलती दिखाई दी। ऐसे में अधिकांश कार्मिक इस बीच में अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। उधर, डीएम उमेश मिश्रा और चुनाव प्रेक्षकों ने भी नवीन मंडी स्थल पर पहुंचकर पोलिंग पार्टियों की रवानगी व्यवस्था को परखा और उन्हें निष्पक्ष व निडर रहकर मतदान संपन्न कराने के लिए प्रेरित किया। दोपहर बाद तक तमाम पोलिंग पार्टियां नवीन मंडी से रवाना होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि मीरांपुर उपचुनाव के दृष्टिगत जनपद को छह जोन, 33 सेक्टरों में बांटा गया है। इस बार उपचुनाव में 151 मतदान केंद्र व 328 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इनमें छह मतदान केंद्र वल्नरेबल और 95 क्रिटिकल हैं। मीरांपुर सीट पर 03 लाख 24 हजार 571 वोटर पंजीकृत हैं, इनमें 1,71,912 पुरुष और 1,52,644 महिलाओं के साथ ही 15 थर्ड जैंडर मतदाता शामिल हैं।

इन्होंने कहा- अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) नरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि मंगलवार को मीरांपुर विधानसभा सीट के उप चुनाव के लिए नवीन मंडी स्थल से 328 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। चुनाव के लिए हर बूथ पर चार कर्मचारी मौजूद रहेंगे। बूथों पर बैरिकेडिंग करा दी गई है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव में मतदान को शांतिपूर्ण व सकुशल सम्पन्न कराने के लिए बुधवार को मेरठ, बिजनौर व हरिद्वार जनपद की सीमा को सील कर दिया गया है।

ऑन लाइन पैसा कमाने का झांसा देकर 1.13 लाख ठगे

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। साइबर ठगों ने ऑन लाइन पैसा कमाने का झांसा देकर एक युवक से 1.13 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला सुभाषनगर निवासी पकंज कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उसके मोबाइल पर एक कॉल आयी। कॉल करने वाले युवक ने ऑन लाइन पैसे कमाने का ऑफर दिया। साइबर ठग की बातों में आकर उसने ऑन लाइन काम करना शुरू कर दिया। साइबर ठग के झांसे में आकर पीड़ित ने खाते में तीन बार में 1.13 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद साइबर ठग ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। लगातार पीड़ित आरोपी फोन कॉल करता रहा। थाना प्रभारी दिनेश चंद बघेल ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच साइबर हेल्प डेस्क को सौंपी गयी है।

रामपुर तिराहाकांड : अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते नहीं हो सकी सुनवाई

मुजफ्फरनगर, 19 नवम्बर (बु.)। रामपुर तिराहाकांड से जुडे दो मामलों में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दोनों मामलों में 27 नवम्बर की तिथि नियत की गई है। एक अक्टूबर 1994 की रात पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का पुलिस से टकराव हो गया था। पुलिस फायरिंग में सात आंदोलनकारियों की मौत हो गयी थी, जबकि महिलाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के आरोप भी लगे थे। इस मामले में सीबीआई की तरफ से सात मुकदमे दर्ज किए थे। सरकार बनाम ब्रज किशोर व सरकार बनाम एसपी मिश्रा मामले की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेन्द्र फौजदार की कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते दोनों मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 नवम्बर की तिथि नियत की है।

शेष - नींद से जागा ....

सील कराने के साथ अन्य को चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी निगरानी की जा रही है। सरकारी विभागों को भी इसके लिए निर्देश जारी करते हुए सूची मांगी गई है।

नवजात की मौत के बाद परिजनों का हंगामा

जानसठ, 19 नवंबर (बु.)। कस्बे के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन से डिलीवरी के तीन दिन बाद एक नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कमल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनके यहां भर्ती बच्चे की मौत हुई है। लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल पर प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर जानसठ कस्बा चौकी इंचार्ज मोहित कुमार पुलिस बल के साथ कमल हॉस्पिटल पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल निवासी सुमित पुत्र चंद्रपाल की पत्नी राधा की डिलीवरी तीन दिन पूर्व जानसठ के कमल हॉस्पिटल पर ऑपरेशन द्वारा हुई थी,

तभी से ही उनके बच्चे को मशीन में रखा गया। मृतक नवजात शिशु के पिता सुमित कुमार का कहना है कि कमल हॉस्पिटल के चिकित्सकों से बार-बार पूछने के बावजूद बच्चे की तबीयत सही बताई गई। सोमवार रात करीब नौ बजे डॉक्टर ने कहा कि 5 मिनट का समय है, अपने बच्चों को किसी अन्य अस्पताल में ले जाओ। प्रार्थी अपने बच्चों को एंबुलेंस में लेकर मुजफ्फरनगर जा रहा था, जहां रास्ते में ही बच्चे ने डॉक्टर की लापरवाही के चलते दम तोड़ दिया। उक्त अस्पताल संचालक के विरुद्ध पीड़ित परिजनों ने जानसठ कोतवाली में तहरीर देते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है।

घने कोहरे के साथ रही सबसे ठंडी रात: पारा 24.6/11.5

मुजफ्फरनगर, 19 नवंबर (बु.)। कल दिन भर कोहरे के बाद आ